नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 04
दि. 04.10.2025,
शनिवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : JIGNESHKUMAR PETHABHAI VAGHELA Regd. Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Centre, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad-382 424, Gujarat, India.

Phone : 76983 33307 (M) 84859 51747, 70963 33307 ● Email : navsarjansanskruti2016@gmail.com ● Email : navsarjansanskruti2016@yahoo.com ● Website : www.navsarjansanskruti.com

केंद्र ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत के कफ सिरप जांच में कोई टॉक्सिन नहीं पाया, डीजीएचएस ने दी नई चेतावनी

राजस्थान और मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत के मामले ने पूरे देश में चिंता और हड़कंप मचा दिया था। इन दोनों राज्यों में हाल ही में किडनी फेल होने के कारण अब तक 12 बच्चों की मौत हो चुकी थी। शुरुआती रिपोर्ट्स में मौतों को खांसी की दवा से जोड़कर देखा गया, जिससे लोगों में भय और असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने तुरंत कार्रवाई की और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) की टीमों को मौके पर भेजा। टीमों ने संबंधित दवाओं के सैंपल लेकर विस्तृत जांच शुरू की। जांच रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि किसी भी सैंपल में डायइथिलीन ग्लाइकोल (DEG) या एथिलीन ग्लाइकोल (EG) जैसे हानिकारक तत्व मौजूद नहीं थे, जो किडनी को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। एमपी और राजस्थान की जांच टीमों ने भी इस

निष्कर्ष की पुष्टि की।

मृत बच्चों के ब्लड और सीएसएफ सैंपल पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (NIV) लैब में जांचे गए। इसमें एक बच्चे में लेप्टोस्पायरोसिस बीमारी का पॉजिटिव पाया गया, जो संकेत देता है कि बच्चों की मौतों में केवल दवा ही कारण नहीं थी, बल्कि अन्य स्वास्थ्य कारण भी शामिल हो सकते हैं। इस मामले में पानी, मच्छरों और सांस संबंधी अन्य संभावित कारणों की जांच भी विभिन्न प्रयोगशालाओं में जारी है। राजस्थान में जिन बच्चों की मौत हुई, उनमें जिस कफ सिरप का नाम आया, उसमें न तो प्रोपिलीन ग्लाइकोल पाया गया और न ही DEG/EG जैसे हानिकारक तत्व। यह दवा बच्चों को देने के लिए अनुशंसित भी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद यह विवाद का विषय बन गया था।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चेतावनी जारी की है कि छोटे बच्चों में खांसी और जुकाम की दवाओं का सीमित और समझदारी से उपयोग किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी दवा का उपयोग केवल विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार ही किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) ने भी दो साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी प्रकार की खांसी और जुकाम की दवा देने से पूरी तरह परहेज करने की सख्त सलाह दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि छोटे बच्चों में इन दवाओं का सेवन गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकता है।

इस पूरी घटना ने यह संदेश दिया कि बच्चों की सुरक्षा के मामले में सतर्कता और जिम्मेदारी बेहद महत्वपूर्ण है। केंद्र और राज्य सरकारें इस मामले में गंभीरता दिखा रही हैं और जांच को तेज किया गया है। अभी तक की जांच में यह स्पष्ट हो गया है कि बच्चों की मौत सीधे किसी टॉक्सिन वाली दवा से नहीं हुई। हालांकि आगे की जांच से अन्य संभावित कारणों का पता लगाया जाएगा, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी साबित किया कि स्वास्थ्य और सुरक्षा के मामलों में सावधानी और समय पर कार्रवाई कितनी महत्वपूर्ण होती है, और सरकार और विशेषज्ञ इस दिशा में लगातार प्रयासरत हैं।

भारत में तालिबान का कदम : पहली बार विदेश मंत्री अमीर ख़ान मुत्ताक़ी का दौरा, UNSC ने दी मंज़ूरी

(जीएनएस)। अफ़ग़ानिस्तान की सत्ता पर अगस्त 2021 में कब्ज़ा करने के बाद से पहली बार तालिबान का कोई शीर्ष नेता भारत का आधिकारिक दौरा करने जा रहा है। तालिबान सरकार के विदेश मंत्री अमीर ख़ान मुत्ताक़ी 9 अक्टूबर को भारत आएंगे। यह यात्रा न केवल काबुल और नई दिल्ली के बीच संवाद का नया अध्याय है, बल्कि पूरे क्षेत्रीय परिदृश्य में एक अहम मोड़ की तरह देखी जा रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इस दौरे को कूटनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हुए मुत्ताक़ी को यात्रा प्रतिबंध से अस्थायी छूट प्रदान की है। परिषद की ओर से जारी बयान में कहा गया कि 30 सितंबर 2025 को संकल्प 1988 (2011) के तहत बनी समिति ने मुत्ताक़ी को 9 से 16 अक्टूबर के बीच भारत की यात्रा की अनुमति दी है। यह छूट इसलिए भी अहम है क्योंकि तालिबान के कई शीर्ष नेताओं पर अंतरराष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंध लागू है।

भारत और तालिबान के बीच हाल के वर्षों में कई संकेत मिले हैं कि दोनों देशों के बीच संवाद के दरवाज़े पूरी तरह बंद नहीं हैं। इसी साल मई में विदेश मंत्री एस. जयशंकर और मुत्ताक़ी के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई थी, जिसे कूटनीतिक जगत में बहुत अहम माना गया। इससे पहले जनवरी 2025 में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री और मुत्ताक़ी की मुलाकात हुई थी, जिसे 2021 के बाद दोनों पक्षों के बीच उच्च-स्तरीय वार्ता के रूप में देखा गया। हालांकि भारत ने अब तक तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता नहीं दी है। यही कारण है कि मुत्ताक़ी किस प्रोटोकॉल के तहत भारत दौरे पर आएंगे, इस पर पूरी स्पष्टता नहीं है। कूटनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि यह दौरा भारत के लिए बेहद संवेदनशील है। एक तरफ तालिबान चाहता है कि भारत अफ़ग़ानिस्तान में बगराम एयरबेस के मुद्दे पर उसका समर्थन करे, वहीं भारत को अमेरिका के साथ अपने संबंधों को देखते हुए बेहद संतुलित रुख अपनाना होगा। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह तालिबान के साथ बातचीत तो करे, लेकिन इसे किसी औपचारिक मान्यता के रूप में न देखा जाए। भारत की चिंताएँ भी गहरी हैं, जिनमें आतंकवाद, पाकिस्तान की भूमिका, अफ़ग़ानिस्तान में भारतीय निवेश और सुरक्षा परिदृश्य प्रमुख हैं। दूसरी ओर तालिबान भारत को अपने विकास और निवेश परियोजनाओं में शामिल करना चाहता है, ताकि चीन और पाकिस्तान पर उसकी निर्भरता कुछ कम हो सके।

वांगचुक की गिरफ्तारी और पत्नी की न्याय की पुकार

(जीएनएस)। लद्दाख के जाने-माने पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक इस समय विवादों और कानूनी लड़ाई के केंद्र में हैं। लेह हिंसा भड़काने के आरोप में उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत गिरफ्तार कर जोधपुर जेल में रखा गया है। इस गिरफ्तारी ने न केवल लद्दाख बल्कि पूरे देश में राजनीतिक और सामाजिक हलचल मचा दी है। इसी बीच उनकी पत्नी गीतांजलि जे अंगमो ने अपने पति की रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है।

अंगमो ने 2 अक्टूबर को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका (हेबियस कॉर्पस) दायर की। इस याचिका में उन्होंने जोर देकर कहा कि वांगचुक की गिरफ्तारी अवैध है और उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दिल्ली में उनके परिवार और करीबियों पर लगातार नज़र रखी जा रही है। यहां तक कि उनके एक कर्मचारी को भी हिरासत में ले लिया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रशासन केवल वांगचुक को ही नहीं बल्कि उनके पूरे दायरे को दबाव में लेना चाहता है। पृष्ठभूमि की बात करें तो, 24 सितंबर को लेह में हुई हिंसा के दौरान चार लोगों की मौत हुई थी। इस हिंसा के लिए प्रशासन ने वांगचुक और उनके समर्थकों को जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद 26 सितंबर को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत जेल भेज दिया गया। NSA का प्रयोग

आमतौर पर तब किया जाता है जब सरकार को लगता है कि किसी व्यक्ति की गतिविधियां राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बन सकती हैं। यही वजह है कि वांगचुक की गिरफ्तारी ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। दिलचस्प तथ्य यह है कि 2 अक्टूबर को लेह की स्थानीय जेल में बंद 56 आंदोलनकारियों में से 26 लोगों को रिहा कर दिया गया, क्योंकि उन पर गंभीर धाराएं नहीं थीं। लेकिन 30 लोग अब भी जेल में हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख नाम सोनम वांगचुक का है। इस अंतर से यह सवाल उठ रहा है कि क्या वांगचुक की गिरफ्तारी राजनीतिक और प्रशासनिक दबाव का परिणाम है।

वांगचुक केवल एक पर्यावरण कार्यकर्ता नहीं, बल्कि लद्दाख की आवाज़ माने जाते हैं। उनकी पहचान एक शिक्षक, समाज सुधारक और स्थायी विकास के पैरोकार के रूप में रही है। उन्होंने हिमालय और पर्यावरण संरक्षण के लिए वर्षों तक काम किया है और क्षेत्र की पारिस्थितिकी को बचाने के लिए कई अभिनव प्रयोग किए हैं। ऐसे व्यक्ति पर हिंसा भड़काने का आरोप और फिर NSA जैसी कठोर धारा का प्रयोग स्वाभाविक रूप से विवाद खड़ा करता है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। यदि अदालत मानती है कि गिरफ्तारी अवैध है, तो यह न केवल वांगचुक की रिहाई का रास्ता खोलेगा, बल्कि यह भी साबित करेगा कि नागरिक अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अब भी इस लोकतंत्र की मूलभूत आत्मा हैं। दूसरी ओर, यदि सरकार और प्रशासन अपने आरोपों को प्रमाणित करने में सफल होते हैं, तो वांगचुक की रिहाई आसान नहीं होगी। इस पूरे घटनाक्रम ने लद्दाख के लोगों को झकझोर दिया है। वहां के स्थानीय समुदाय मानते हैं कि यह सिर्फ वांगचुक की लड़ाई नहीं है, बल्कि उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई अब तय करेगी कि पर्यावरणविद और समाज सुधारक सोनम वांगचुक जेल से बाहर आएंगे या फिर उन्हें लंबे समय तक कैद में रहना पड़ेगा। फिलहाल, उनकी पत्नी गीतांजलि जे अंगमो की यह याचिका न्याय की उम्मीद का एक मजबूत आधार बन गई है, जिस पर देश की नज़रें टिकी हुई हैं।

बरातांग में 20 साल बाद मिट्टी का ज्वालामुखी फटा, पर्यटकों की आवाजाही रोकी गई

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का बरातांग इलाका इन दिनों फिर से चर्चा में है। यहां स्थित भारत का इकलौता मिट्टी का ज्वालामुखी (Mud Volcano) लगभग दो दशकों बाद अचानक फट पड़ा। पोर्ट ब्लेयर से करीब 150 किलोमीटर दूर बरातांग द्वीप वैसे तो अपने प्राकृतिक सौंदर्य और घने जंगलों के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार यहां की पहचान एक भूवैज्ञानिक घटना से हो रही है।

गुरुवार दोपहर करीब 1:30 बजे जारवा क्रीक इलाके से मिट्टी और धुएं के बड़े विस्फोट की सूचना मिली। देखते ही देखते 3 से 4 मीटर ऊंचा मिट्टी का टीला खड़ा हो गया और करीब 1000 वर्ग मीटर इलाके में गीली मिट्टी और बुलबुलेदार गैस फैल गई। स्थानीय अधिकारियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और सुरक्षा कारणों से सभी रास्ते बंद कर दिए। पर्यटकों को इस क्षेत्र में जाने से फिलहाल रोक दिया गया है। मिट्टी का ज्वालामुखी, लावा वाले सामान्य ज्वालामुखी से अलग होता है। इसमें पृथ्वी की गहराई में दबे सड़ते हुए कार्बनिक पदार्थों से गैसें बनती हैं। जब इन गैसों का दबाव बढ़ जाता है, तो वे मिट्टी और गैस को ऊपर की ओर धकेल देती हैं। इससे सतह पर बुलबुले और गड्ढे बनते हैं और एक

छोटा-सा ज्वालामुखी फटने जैसा दृश्य पैदा होता है। हालांकि इसमें लावा, आग या राख नहीं निकलती, लेकिन अचानक फैलने वाली गैस और गीली मिट्टी स्थानीय भूभाग और आस-पास के पर्यावरण के लिए खतरनाक साबित हो सकती है।

इससे पहले बरातांग का यह मड वोल्केनो साल 2005 में फटा था। उसके बाद से यहां वैज्ञानिक लगातार निगरानी कर रहे थे, लेकिन इतने लंबे अंतराल के बाद इसका दोबारा सक्रिय होना चौंकाने वाला है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटना पृथ्वी की परतों में चल रही रासायनिक और भू-भौतिकीय प्रक्रियाओं की ओर इशारा करती है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल इलाके को सुरक्षित कर दिया गया है और वन विभाग ने सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। वैज्ञानिकों की एक टीम को भी निरीक्षण और अध्ययन के लिए बुलाया गया है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में यह ज्वालामुखी और भी छोटे विस्फोट कर सकता है।

बरातांग आने वाले पर्यटकों के लिए यह एक आकर्षण का केंद्र रहा है, लेकिन फिलहाल सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहां प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। स्थानीय लोग और प्रशासन इस घटना को प्रकृति के एक दुर्लभ और अनोखे प्रदर्शन के रूप में देख रहे हैं।

लगातार बदलते धरातलीय घटनाक्रम के बीच बरातांग का यह मड ज्वालामुखी हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी अब भी भीतर से जीवित है और अपनी शक्ति को समय-समय पर प्रकट करती रहती है।

अमेरिकी सरकार का शटडाउन तीसरे दिन, राजनीतिक गतिरोध ने हजारों नौकरियों पर संकट खड़ा किया

(जीएनएस)। वॉशिंगटन से इस समय जो खबरें सामने आ रही हैं, वे न केवल अमेरिकी राजनीति की जटिलता को उजागर करती हैं बल्कि लाखों लोगों के भविष्य पर मंडरा रहे अनिश्चित संकट की ओर भी इशारा करती हैं। अमेरिका की संघीय सरकार का शटडाउन अब तीसरे दिन में प्रवेश कर चुका है और इसकी गूंज व्हाइट हाउस से लेकर कांग्रेस और सड़कों तक महसूस की जा रही है। यह गतिरोध इस बात का प्रमाण है कि जब राजनीति अपने चरम पर पहुँच जाती है तो प्रशासनिक तंत्र और आम जनता किस प्रकार उसके शिकार बनते हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलीन लेविट ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि यदि यह बजट विवाद लंबा खिंचता है तो हजारों संघीय कर्मचारियों की नौकरियाँ खतरे में पड़ सकती हैं। बजट कार्यालय (OMB) और विभिन्न एजेंसियों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे उन विभागों की पहचान करें जिन पर इस संकट का सबसे गहरा असर पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में न केवल तनख्वाह रुक सकती है बल्कि बड़े पैमाने पर छंटनियाँ भी हो सकती हैं। यह घोषणा कर्मचारियों और उनके परिवारों के बीच गहरी चिंता का कारण बनी हुई है। व्हाइट हाउस ने सीधे तौर पर डेमोक्रेट्स को जिम्मेदार ठहराते हुए आरोप लगाया कि यदि उन्होंने सरकार को खुला रखने के लिए सहयोग किया होता तो स्थिति इतनी विकट नहीं बनती। विवाद की असली जड़ स्वास्थ्य लाभ से जुड़ी नीतियों में है, विशेषकर गैर-दस्तावेज़ी प्रवासियों को मेडिकेयर जैसी सुविधाएँ देने के मामले में। रिपब्लिकन मानते हैं कि इन योजनाओं पर खर्च करना अनावश्यक है और बजट घाटा बढ़ाता

है, जबकि डेमोक्रेट्स इसे मानवीय दृष्टिकोण से आवश्यक ठहराते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस शटडाउन को एक तरह से "अभूतपूर्व अवसर" बताते हुए सोशल मीडिया पर टिप्पणी की कि डेमोक्रेट्स ने उन्हें संघीय सरकार को नया रूप देने का मौका दिया है। उन्होंने व्यंग्यात्मक अंदाज में यह भी लिखा कि शायद यही डेमोक्रेट्स का तरीका है "अमेरिका को जल्दी और चुपचाप फिर से महान बनाने का।" ट्रंप की यह टिप्पणी बताती है कि वे इस संकट को केवल आर्थिक चुनौती नहीं बल्कि एक राजनीतिक हथियार की तरह भी देख रहे हैं। स्थिति की गंभीरता इस बात से और स्पष्ट होती है कि प्रशासन ने डेमोक्रेटिक राज्यों में चल रही अरबों डॉलर की परियोजनाओं की फंडिंग रोकने या स्थगित करने का फैसला किया है। यह कदम न केवल वहां के विकास कार्यों को प्रभावित करेगा बल्कि राजनीतिक ध्रुवीकरण को और गहरा करेगा। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच बढ़ती दूरी का सीधा असर जनता पर पड़ेगा, खासकर उन राज्यों के नागरिकों पर जो पहले से आर्थिक असमानताओं का सामना कर रहे हैं। कांग्रेस में बजट की समयसीमा गुजर जाने के बाद से कई विभागों का काम ठप हो चुका है। हालांकि रक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसी आवश्यक सेवाएँ फिलहाल जारी हैं, लेकिन अधिकांश गैर-जरूरी कार्यों को रोक दिया गया है।

मुंबई अब कभी नहीं सोएगी, महाराष्ट्र सरकार ने 24 घंटे कारोबार की अनुमति दी

मुंबई, जिसे सपनों की नगरी कहा जाता है, अब सचमुच कभी नहीं सोएगी। महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को ऐतिहासिक और बहुप्रतीक्षित निर्णय लेते हुए शहर के रेस्तरां, होटल, मल्टीप्लेक्स, थिएटर और अन्य मनोरंजन स्थलों को चौबीसों घंटे ग्राहकों के लिए खुले रखने की अनुमति दे दी है। इस फैसले से न केवल व्यापार को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है, बल्कि हजारों नए रोजगार सृजित होने की संभावना भी बढ़ गई है। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया कि यह छूट केवल उन प्रतिष्ठानों के लिए लागू होगी, जहां शराब की बिक्री या वितरण नहीं होता। इसलिए वाइन शॉप, बीयर बार, डांस बार और हुक्का पार्लर जैसी जगहें अभी भी पुराने समय-सीमा वाले नियमों के अधीन रहेंगी।

सरकारी आदेश के अनुसार, अब शहर में होटल, रेस्तरां, पब्लिक एंटरटेनमेंट सेंटर और मल्टीप्लेक्स चौबीसों घंटे खुले रह सकेंगे। कर्मचारियों को सप्ताह में 24 घंटे का विश्राम देने की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा, ताकि श्रम कानूनों का पालन भी सुनिश्चित किया जा सके। सरकार ने इस फैसले को महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था और पर्यटन के लिए एक अहम कदम बताया है। मुंबई में नाइटलाइफ को वैध रूप से बढ़ावा देने की मांग नई नहीं है। इस मुद्दे पर पहली बार 2013 में मुंबई महानगरपालिका ने प्रस्ताव पारित किया था, इसके बाद 2015 में मुंबई पुलिस ने भी इसे मंजूरी दी। 2021 में अधिसूचना जारी की गई, लेकिन तत्कालीन फडणवीस सरकार ने इसे लागू नहीं किया। 2020 में उद्धव ठाकरे की शिवसेना सरकार ने इसे लागू करने का प्रयास किया, जिस पर भाजपा और मनसे ने विरोध जताया। भाजपा नेताओं का कहना था कि यह निर्णय महिलाओं की सुरक्षा और समाज की संस्कृति के खिलाफ है, जबकि मनसे नेता संदीप देशपांडे ने इसे मजाकिया अंदाज में पेश किया। अब जब भाजपा नेतृत्व वाली सरकार ने इसे लागू किया है, शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे ने सवाल उठाया कि पहले जिन मुद्दों पर विरोध किया गया था, अब वही कैसे स्वीकार्य हो गया।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह निर्णय मुंबई और अन्य बड़े शहरों में नाइटलाइफ और पर्यटन को बढ़ावा देने का नया दौर शुरू करेगा। होटल और रेस्तरां मालिक इसे अपने व्यवसाय के लिए जीवनदान मान रहे हैं, जबकि आम लोग इसे शहर की आधुनिक और गतिशील जीवनशैली का हिस्सा मान रहे हैं। सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखना सरकार और पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगी, लेकिन इतना तय है कि मायानगरी अब सचमुच 24 घंटे जगमगाती नजर आएगी।

इस फैसले का असर केवल व्यवसायिक गतिविधियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि मुंबई की संस्कृति, रोजगार और आर्थिक विकास पर भी गहरा असर डालेगा। व्यापारी वर्ग अब अपने व्यवसाय को नई दिशा में ले जाने के लिए तैयार है, और युवाओं एवं पर्यटकों के लिए यह शहर और भी आकर्षक बन जाएगा। मुंबई की गलियों, रेस्तरां, होटल और मनोरंजन केंद्र अब रात के अंधेरे में भी चमकते नजर आएंगे, जिससे शहर की ऊर्जा और ग्लैमर और बढ़ जाएगा।

करूर भगदड़ की गूंज और न्याय की उम्मीद

(जीएनएस)। तमिलनाडु के करूर में 27 सितंबर को हुई भयावह भगदड़ ने सैकड़ों परिवारों को गहरे शोक और असहनीय पीड़ा में धकेल दिया। अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम (TVK) के रोड शो के दौरान बेकाबू हुई भीड़ अचानक इस कदर अफरातफरी में बदल गई कि 41 लोग मौके पर ही अपनी जान गंवा बैठे और 100 से ज्यादा घायल हो गए। यह घटना केवल एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि इसने यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या राजनीतिक रैलियों और शक्ति प्रदर्शन में जनता की सुरक्षा के साथ समझौता किया जा रहा है। मामला जब मद्रास हाईकोर्ट पहुंचा तो अदालत ने बेहद सख्त रुख अपनाया। जस्टिस एन सेंथिलकुमार ने साफ शब्दों में कहा कि यह घटना पूरी दुनिया ने देखी है, लेकिन आयोजनकर्ता पार्टी TVK ने न तो कोई खेद जताया और न ही पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। अदालत ने कहा कि इस तरह की गैर-जिम्मेदाराना चुप्पी से जिम्मेदारियां खत्म नहीं होतीं। अदालत ने पार्टी के रवैये की आलोचना करते हुए कहा कि राजनीतिक दल अपनी आंखें बंद कर जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। सीबीआई जांच की मांग को अदालत ने ठुकरा दिया और इसके स्थान पर एक विशेष जांच दल (SIT) गठित कर दिया। इस SIT की कमान तमिलनाडु पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल असरा गर्ग को सौंपी गई है। अदालत ने माना कि स्थानीय स्तर पर जांच तेजी से होगी और सच्चाई सामने आएगी। साथ ही, स्टालिन सरकार को नोटिस जारी कर अतिरिक्त मुआवजे की मांग पर जवाब देने को कहा गया है, ताकि पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहारा मिल सके। अदालत ने यह भी कहा कि अगर कोई वास्तविक पीड़ित या पीड़ित परिवार मदद के लिए आगे आता है तो न्यायपालिका उसके साथ खड़ी होगी। यह घटना केवल न्यायिक दायरे तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में भी गहरी बहस छेड़ दी। अदालत ने TVK के जिला सचिव एन. सतीश कुमार की अग्रिम जमानत याचिका को भी सख्ती से खारिज कर दिया और सवाल उठाया कि जब वे आयोजनकर्ता थे तो भीड़ पर नियंत्रण क्यों नहीं रखा गया। अदालत ने यह भी पूछा कि जब कार्यकर्ता बेकाबू हो रहे थे, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे थे और अफरातफरी फैला रहे थे, तो जिम्मेदार लोग चुप क्यों रहे। यह टिप्पणी स्पष्ट करती है कि अदालत केवल घटना को नहीं बल्कि उसकी जड़ में मौजूद लापरवाही और राजनीतिक उदासीनता को भी पहचान रही है।

करूर की यह त्रासदी अब केवल एक हादसा नहीं रही, बल्कि यह तमिलनाडु और पूरे देश के लिए चेतावनी बन गई है। राजनीतिक लोकप्रियता के नाम पर जुटाई गई भीड़ अगर मौत का कारण बन जाए, तो यह लोकतंत्र की आत्मा को चोट पहुंचाती है। SIT की जांच अब इस बात पर केंद्रित होगी कि घटना के पीछे किस स्तर की लापरवाही रही और जिम्मेदार लोगों को कैसे कठघरे में खड़ा किया जाए। इस पूरे प्रकरण ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जनसभाओं और राजनीतिक आयोजनों में केवल भीड़ जुटाना ही लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। करूर

संपादकीय

मेहनत की कमाई में सेंध

कैसी विडंबना है कि भोले-भाले लोगों से छल करके खून-पसीने से हासिल जीवनभर की पूंजी ऑनलाइन डकैती में लूट ली जाती है। जिसकी वापसी के लिए तंत्र की कोई जवाबदेही और कानून-व्यवस्था से कोई गारंटी सुनिश्चित नहीं है। जब तंत्र लगातार ऑनलाइन सेवाओं के उपयोग के लिये प्रेरित करता है तो उसे जनधन की सुरक्षा की गारंटी भी सुनिश्चित करनी चाहिए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी द्वारा जारी हालिया आंकड़े इस संकटपूर्ण स्थिति का खुलासा करते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट खुलासा करती है कि वर्ष 2023 में साइबर क्राइम की घटनाओं में 31.2 प्रतिशत की तेज वृद्धि देखी गई है। जिसके आने वाले वर्षों में और अधिक होने की आशंका जतायी जा रही है। जो इस बात का प्रमाण है कि ऑनलाइन धोखाधड़ी से निबटना अब दिन-प्रतिदिन मुश्किल होता जा रहा है। निश्चित रूप से साइबर क्राइम से जुड़े अपराधों के आंकड़े जुटाने की एनसीआरबी की पहल महत्वपूर्ण है, जो इस संकट से निबटने की अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम इन अपराधों से निबटने के लिये कैसे रणनीति बनाते हैं। साथ ही आम लोगों को जागरूक करने की जरूरत है कि कैसे वे साइबर अपराधियों के संजाल में फंसने से बच सकते हैं। यूं तो डेटा सुरक्षा के लिये तमाम दिशा-निर्देश सरकार के विभिन्न संगठनों की तरफ से दिए जाते हैं, लेकिन आज भी पुरानी पीढ़ी के तमाम लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन सुविधाओं के उपयोग को लेकर पर्याप्त रूप से साक्षर नहीं होते। ऐसे में लोगों को जागरूक करना जरूरी है कि दैनिक जीवन में ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करते हुए अपने गोपनीय डेटा की सुरक्षा कैसे करें। लेकिन विडंबना यह है कि साइबर अपराधी नित नए तौर-तरीकों से लोगों को लूटने लगते हैं। कुछ समय पहले साइबर लुटेरों ने स्पूफिंग तकनीक से लोगों को शिकार बनाना शुरू किया। वे सोशल मीडिया अकाउंट में घुसपैठ करके धन की उगाही करने लगते। व्यक्ति को संकट में दिखाकर उसके रिश्तेदारों से धन ऐंठने लगते।

विडंबना यह है कि साइबर ठगी की तकनीक उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबरों और ई-मेल खातों तक भी पहुंच गई। दरअसल, कभी हैकिंग, तो कभी स्पूफिंग के कपटपूर्ण छल का मकसद लोगों की जमा-पूंजी को निशाना बनाना ही रहा है। दरअसल, जब तक लोग ठगी के इन तौर-तरीकों को समझ पाते, साइबर ठग नई तकनीक के सहारे लोगों को भ्रमित कर चूना लगाने की नई कोशिश में लग जाते हैं। ऐसे में साइबर अपराधों के बढ़ते मामलों के बीच सवाल उठता है कि हमारा तंत्र इन घटनाओं में पर प्रभावी रोक लगाने में कामयाब क्यों नहीं हो पाता। आखिर फोन व कंप्यूटर में मजबूत एंटी वायरस और इंटरनेट सुरक्षा सॉफ्टवेयर क्यों कामयाब नहीं होते। आखिर क्यों साइबर घुसपैठ के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पाती। इन पर रोक के लिये कोई कारगर व्यवस्था व मैकेनिज्म क्यों नहीं बन पा रहा है। दूरसंचार नियामक ट्राई की अपनी सीमाएं हैं। संकट यह भी है कि ज्यादातर साइबर अपराध की घटनाएं प्रॉक्सी यानी छद्म सर्वर या फिर वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के जरिये अंजाम दी जाती हैं। ज्यादातर अपराध भारत के बाहर से संचालित होते हैं। यही वजह है कि जालसाज विदेश में बैठकर भी भारत के अपराधियों की मदद से धोखाधड़ी का नेटवर्क बना लते हैं। इससे वे भारतीय नागरिकों को चपत लगाने में सफल हो जाते हैं। निस्संदेह, ऐसे मामलों में व्यक्तिगत सावधानी और सजगता-सतर्कता मददगार साबित हो सकती है। खासकर इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग करते वक्त अतिरिक्त सावधानी से ऐसी धोखाधड़ी से बचा जा सकता है। लोगों को याद रखना चाहिए कि कभी बैंक का कोई अधिकारी खाताधारक से निजी व गोपनीय जानकारी नहीं पूछता है। वो कभी फोन व ई-मेल से ऐसी जानकारी नहीं मांगता है। इसलिए जरूरी है कि यदि कोई व्यक्ति बैंक खाते की सुरक्षा से जुड़े पासवर्ड,पिन, सीवीवी तथा खाता नंबर की जानकारी मेल या फोन से मांगता है तो उसे नजरअंदाज करना चाहिए। ऐसी ही सावधानी हाऊस अरेस्ट के मामलों में भी बरतनी चाहिए। साथ ही असली-नकली वेबसाइट की सावधानी से जांच करनी चाहिए।

संगीत-अध्यात्म एकाकार हो जाते थे उनकी ठुमरी में

> उनकी आवाज़ में भक्ति और श्रृंगार दोनों का सहज संगम था। वे भजन गाते तो लगता कि ईश्वर हमारे सामने खड़े हैं और ठुमरी गाते तो लगता कि प्रेमिका अपने प्रिय की बाट जोह रही है।

भारतीय संगीत की परंपरा ऐसी है जिसमें हर स्वर केवल ध्वनि नहीं, बल्कि जीवन का अनुभव होता है। यह अनुभव पीढ़ी-दर-पीढ़ी बहता आया है, जैसे गंगा की धारा कभी सूखती नहीं, वैसे ही राग-रागिनियों की धारा भी प्रवाहित रहती है। इसी प्रवाह में एक स्वरयोगी थे—पंडित छन्नूलाल मिश्र। जिनका जाना भारतीय संगीत-जगत के लिए एक गहरी रिक्तता है। वे केवल गायक नहीं थे, बल्कि संगीत के उस भावलोक के रक्षक थे, जहां शास्त्र और लोक एक-दूसरे में घुल-मिल जाते हैं।

मिश्र जी के निधन से ऐसा लगा मानो बनारस की गलियों से कोई दीप अचानक बुझ गया हो। लेखिन उनकी आवाज़ का उजाला कभी खत्म नहीं होगा। उनकी गायकी, उनकी ठुमरियां, उनके भजन और उनकी अमर रचनाएं पीढ़ियों तक सुनाई देती रहेंगी।

पंडित छन्नूलाल मिश्र का जन्म उ.प्र. के आज़मगढ़ की साधारण भूमि पर हुआ। संगीत उनके परिवार की परंपरा नहीं थी। बचपन के दिनों में गांव के आंगन में गूंजते भक्ति गीत, मां-बहनों की मधुर स्वर-लहरियां और मंदिरों में उठते कीर्तन उनकी आत्मा में गहरे उतरते गए। यह वही बीज थे, जिन्होंने आगे चलकर उन्हें स्वर-साधना की ओर मोड़ा। पंडित छन्नूलाल का बचपन मिट्टी की सोंधी गंध और गांव की सहज संस्कृति में बीता। तभी उनकी गायकी में हमेशा मिट्टी की सुगंध रही। एक ऐसी सुगंध, जो श्रोता को सीधे उसकी जड़ों तक पहुंचा देती थी। गुरुजनों की शरण में पहुंचकर उन्होंने किराना घराने की बारीकियों को आत्मसात किया। यहां उन्होंने सीखा कि एक स्वर मात्र ध्वनि नहीं, बल्कि साधना है। किराना घराना

स्वर की शुद्धता के लिए प्रसिद्ध है और मिश्र जी ने इसे जीवन भर अपने गले में संजोए रखा। लेकिन उनकी आत्मा को असली घर मिला बनारस में। बनारस की गलियां, घाट और मंदिर उनके जीवन का संगीत बन गए। पंडित मिश्र ने एक बार कहा कि 'बनारस की मिट्टी और गंगा का जल यदि गले में उतर जाए तो आवाज़ अपने आप पवित्र हो जाती है।' यह उनका अनुभव था। वे जब ठुमरी गाते, तो उसमें केवल सुर ही नहीं होते, बल्कि बनारस का समूचा वातावरण उतर आता।

कल्पना कीजिए—गंगा की लहरों पर डूबते सूरज की किरणें, घाटों पर गूंजती आरती और गलियों से आती ठहाकों की आवाज़ें। यही बनारस है और यही बनारस उनकी ठुमरी में बसा रहता था। उनकी आवाज़ सुनकर श्रोता को लगता कि वह स्वयं गंगा किनारे बैठा है, जहां संगीत और अध्यात्म एकाकार हो जाते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत में ठुमरी को सबसे कोमल विधा माना जाता है। इसमें श्रृंगार का रस भी है और भक्ति का आह्वान भी। पंडित छन्नूलाल ने ठुमरी को केवल गाया नहीं, बल्कि जिया। उनके गायन में 'पुरब अंग की ठुमरी' की झलक सबसे अधिक मिलती थी। यह ठुमरी भोजपुरी लोकसंवेदना से उपजी थी, जिसमें लोक की मिठास और सहजता समाई रहती है।

जब वे गाते, 'मोरे सैयां बुलावे अदरसिया', तो श्रोता के हृदय में एक कंपन उठता। ऐसा लगता मानो यह गीत केवल गले से नहीं, आत्मा से निकला हो। वह सुरों को सिर्फ साधते नहीं थे, उन्हें आत्मा में जीते थे।

पंडित छन्नूलाल की गायकी का सबसे अनोखा और अमर योगदान था, 'मसाने की होली।' यह गीत केवल एक रचना नहीं, बल्कि बनारस की संस्कृति का जीवंत दर्शन है। बनारस वह शहर है, जहां मृत्यु भी जीवन का उत्सव बन जाती है। जहां श्मशान भी साधना का स्थान है। जब होली जैसी रंगों की बौछार वाला पर्व इस संस्कृति से मिलता है तो जन्म लेती है-मसाने की होली।

पंडित मिश्र की आवाज़ में जब यह गीत गूंजता, तो श्रोता खुद को श्मशान घाट पर पाता—जहां राख में भी रंग है और मृत्यु में जीवन का उल्लास। इस गीत ने यह सिद्ध कर दिया कि होली केवल गुलाल और रंगों की मस्ती नहीं है, बल्कि यह जीवन और मृत्यु की सीमाओं को पार कर लेने वाला उत्सव है। 'मसाने की होली' वर्षों से होली मिलन समारोहों, सांस्कृतिक मंचों और लोक उत्सवों का अभिन्न हिस्सा बनी हुई है। इसका श्रेय पंडित मिश्र को जाता है।

पंडित छन्नूलाल की गायकी का सबसे बड़ा गुण यह था कि उन्होंने शास्त्रीय संगीत को जनमानस से जोड़ा। उनकी ठुमरियों में भोजपुरी और अवधी का रस होता था। यह लोकजीवन की आत्मा थी। जब वे इन भाषाओं में गाते, तो गांव-गली का श्रोता भी उनसे जुड़ जाता। फलतः वे हर घर-आंगन के गायक बन गए।

पंडित छन्नूलाल सिर्फ गायक नहीं, बल्कि कथावाचक भी थे। उनके गायन में हमेशा संवाद की छटा होती थी। जब वे गाते, तो श्रोता को लगता कि जैसे कोई उनसे सीधे बातें कर रहा है। यही कारण था कि उनकी ठुमरियां कहानी जैसी प्रतीत होती थीं—कभी श्रृंगार की, कभी विरह की तो कभी भक्ति की। उनकी आवाज़ में भक्ति और श्रृंगार दोनों का सहज संगम था। वे भजन गाते तो लगता कि ईश्वर हमारे सामने खड़े हैं और ठुमरी गाते तो लगता कि प्रेमिका अपने प्रिय की बाट जोह रही है।

पंडित मिश्र को वर्ष 2010 में भारत सरकार ने पद्म विभूषण से अलंकृत किया। उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार जनता का प्रेम था। पंडित मिश्र के शिष्य आज देश-विदेश में भारतीय शास्त्रीय संगीत की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने ठुमरी को लोक से जोड़ा।

आज जब पंडित छन्नूलाल हमारे बीच नहीं हैं, तो यह एक युग का अंत है। उनकी गायकी आने वाली पीढ़ियों के लिए दीपक की तरह मार्ग दिखाती रहेगी। जब भी गंगा किनारे कोई ठुमरी गाई जाएगी, जब भी कोई मंच पर 'मसाने की होली' गूंजेगी, तो लगेगा मानो पंडित मिश्र वहीं बैठे हों, अपनी मुस्कान के साथ, सुरों की तपस्या करते हुए। सच यही है—वे नहीं गए। वे तो हर ठुमरी, हर भजन और हर गली की गूंज बनकर अमर हो गए हैं।

प्रेरणा

कल्पना और साहस से संवरता जीवन

जीवन के शुरुआती दौर में चार्ली चैपलिन की दुनिया बेहद संकुचित थी। उनके चारों ओर केवल दो लोग थे—उनकी मां हाना और बड़े भाई। परिवार आर्थिक तंगी और कठिनाइयों में जी रहा था। भोजन और रहने का भरोसा अक्सर गिरजाघरों और समाज की सहायता पर था। कई बार उनकी गुज़ारा के साधन सिर्फ शो की टिकटें बेचकर ही जुटते थे। स्कूल की पढ़ाई के साथ-साथ छोटे-छोटे काम करके भी उनका परिवार अपने रोज़मर्रा के खर्च पूरे करता था, लेकिन ज़रूरतें अक्सर अधूरी रह जाती थीं। इस सबके बीच चार्ली के बचपन का समय संघर्ष और कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन उनके अंदर छिपी कल्पना और साहस ने उन्हें अलग बनाने का काम किया। छोटे चार्ली ने जीवन की पहली बड़ी सीख अपनी मां से सीखी। हाना चैपलिन ने उन्हें बताया कि ऐशो-आराम और जीवन में आसानी की चाह सबसे बुरी चीज़ है। जब जेब खाली हो और साधन सीमित हों, तब भी जीवन को सुंदर और रोशन बनाया जा सकता है अगर मन में कल्पना और

साहस हो। हाना अक्सर खिड़की पर बैठकर राह चलते लोगों को ध्यान से देखतीं और उनके हाव-भाव, चलने का अंदाज़, चेहरे की भावनाओं को अपनी कहानियों और अभिनय में बदल देतीं। कभी-कभी वे उनकी नकल भी करतीं, जिससे चार्ली के मन में लोगों और उनके चरित्र को समझने की कला विकसित हुई। यही अनुभव चार्ली चैपलिन के व्यक्तित्व और अभिनय कला का आधार बना।

चैपलिन बचपन से ही मानते थे कि जीवन में सबसे ज़रूरी चीजें हैं—थोड़ा साहस, थोड़े से साधन और ढेर सारी कल्पना। उनके शब्दों में, "जिंदगी खूबसूरत हो सकती है, अगर आप इससे डरें नहीं।" उन्होंने यह भी सिखाया कि समस्याओं को देखकर डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह जीवन की स्थायी सच्चाई नहीं हैं। "अगर आप नीचे देखेंगे, तो कभी इंद्रधनुष नहीं देख पाएंगे," चार्ली कहते थे। उनके अनुसार जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती हैं, लेकिन वे स्थायी नहीं होतीं। यही सोच उन्हें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने और अपने सपनों को पूरा करने की प्रेरणा देती रही।

उनकी यह शिक्षा आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह बताती है कि चाहे जीवन कितनी भी कठिनाइयों और संघर्षों से भरा हो, अगर इंसान के पास साहस, कल्पना और सकारात्मक दृष्टिकोण हो, तो वह हर परिस्थिति में सुंदरता और आशा देख सकता है। चार्ली चैपलिन का जीवन यही संदेश देता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी इंसान अपने भीतर की शक्ति और कल्पना से जीवन को संवार सकता है, चुनौतियों का सामना कर सकता है और अपने सपनों को साकार कर सकता है। उनका जीवन यह भी सिखाता है कि सीमित साधनों और कठिनाइयों में भी रचनात्मकता और कल्पनाशक्ति किसी को महान बना सकती है।

सत्ता संघर्ष में एर्दोआन के उत्तराधिकारी का प्रश्न

एर्दोआन ख़ैरियत से नहीं हैं। एर्दोआन के करीबी लोगों में, उनके बाद के भविष्य को लेकर बहस फिर से तेज़ हो गई है। हालांकि पार्टी का एक हिस्सा दावा करता है कि राष्ट्रपति रेजेप तैय्यिप एर्दोआन खुद 2028 में पद छोड़ने का इरादा नहीं रखते, लेकिन पार्टी की अंदरूनी स्थिति उबाल पर है। वर्ष 2017 में एक जनमत संग्रह के बाद, तुर्की की सरकार संसदीय प्रणाली से राष्ट्रपति प्रणाली में बदल गई।

तुर्की में संभावित उत्तराधिकारियों के नाम तेज़ी से चर्चा में आ रहे हैं। हकान फ़िदान 2010 से 2023 तक तुर्की ख़ुफ़िया एजेंसी के प्रमुख रहे हैं और अब विदेश मंत्री हैं। वह एर्दोआन के सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक हैं, लेकिन राष्ट्रपति परिवार में उन्हें लेकर थोड़ी सावधानी बरती जाती है। इब्राहिम कालिन 2014 से तुर्की राष्ट्रपति के प्रेस सचिव और 2023 से राष्ट्रीय ख़ुफ़िया एजेंसी के प्रमुख हैं। उन्हें एक बुद्धिजीवी और शासन के सबसे करीबी विचारकों में से एक माना जाता है। बिलाल एर्दोआन राष्ट्रपति के बेटे हैं, मुख्य 'वंशवादी' उत्तराधिकारी और अखिल तुर्कवाद के दूत के रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी छवि कमज़ोर है। उनका अतीत निंदनीय रहा है, ख़ासकर 2013 के 'टेलीफ़ोन रिकॉर्ड' के दौरान 'लाखों लोगों के लापता होने के मामले' को लेकर।

सेल्कुक बयारकतार एर्दोआन के दामाद हैं, जो बयारकतार ड्रोन के डिज़ाइनर हैं। वे तुर्की राष्ट्रवादियों के प्रतीक हैं। बेरात अल्बयारक एक और दामाद हैं, जो पूर्व वित्त और ऊर्जा मंत्री हैं, जिनके कार्यकाल में तुर्की में संकट शुरू हुआ था। लेकिन आर्थिक विफलता और घोटालों के बाद, उन्हें अपना पद खोना पड़ा। सुलेमान सोयलू एक पूर्व गृह मंत्री हैं जो सुरक्षा हलकों में प्रभावशाली हैं। लेकिन पेकर के घोटालों और आरोपों ने उनकी दावेदारी बहुत कमज़ोर कर दी। विदेश मंत्री हकान फ़िदान रूस के लिए सबसे अच्छा विकल्प लगता है। कठोर, लेकिन व्यावहारिक। सबसे विवादास्पद सेल्कुक बयारकतार हैं, जो रूसी संघ के ख़िलाफ़ पश्चिमी गठबंधन के पैरोकार हैं।

वह साल 1994 था, जब एर्दोआन इस्तांबुल के मेयर बने, जबकि उनके अब कट्टर राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी एक्रेम इमामोग्लू ने व्यवसाय प्रशासन संकाय से स्नातक किया। इमामोग्लू और एर्दोआन ने अपने राजनीतिक करियर को एक जैसे तरीक़े से बनाया है। दोनों इस्तांबुल के मेयर रहे हैं, और दोनों ही उस पद पर रहते जेल गए हैं। एर्दोआन 1994 में इस्तांबुल के मेयर बने, लेकिन पांच साल बाद एक राजनीतिक रैली में राष्ट्रवादी कविता — 'मीनारें हमारी संगीनें हैं और गुंबद हमारे हेलमेट हैं।' पढ़ने के बाद धार्मिक नफ़रत भड़काने के आरोप में उन्हें जेल भेज दिया गया। उस समय धर्मनिरपेक्ष अदालतों ने कविता को एक ख़तरे के रूप में देखा था। राष्ट्रपति बनने से पहले एर्दोआन प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने 20 से ज़्यादा वर्षों तक तुर्की पर कब्ज़ा बनाए रखा और वहां के लोकतंत्र पर अपनी पकड़ मज़बूत की। और एर्दोआन के ही रास्ते पर चलते हुए इमामोग्लू तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल के मेयर बने। इमामोग्लू लंबे समय से अपनी पार्टी रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी (सीएचपी) के नेता रहे हैं और अब उन्हें एर्दोआन का सबसे मज़बूत प्रतिद्वंद्वी माना जाता है।

19 मार्च, 2025 को, इस्तांबुल के मेयर और विपक्षी रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार एक्रेम इमामोग्लू को फ़र्ज़ी डिग्री, भ्रष्टाचार, जबरन वसूली, रिश्वतखोरी, धन शोधन और आतंकवाद, विशेष रूप से पीकेके का समर्थन करने के संदेह में तुर्की पुलिस ने हिरासत में लिया था।

तुर्की में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए, उम्मीदवार द्वारा उच्च शिक्षा पूरी कर ली होनी चाहिए। लेकिन 18 मार्च को, देश की विपक्षी पार्टी द्वारा इमामोग्लू को अपना राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित करने और एर्दोआन के ख़िलाफ़ आधिकारिक चुनाव लड़ने से कुछ ही दिन पहले, उनकी डिग्री रद्द कर दी गई।

इस गिरफ्तारी के बाद देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। दो हज़ार से अधिक लोग गिरफ्तार हुए, जिनमें से अधिकांश अभी जेल में हैं। लोगों ने राष्ट्रपति एर्दोआन की डिग्री को भी जुगाड़ वाला बताया। राष्ट्रपति एर्दोआन की आधिकारिक जीवनी, 'एक्सटर्नल', में लिखा है कि उन्होंने 1981 में मरमरा विश्वविद्यालय के आर्थिक और वाणिज्यिक विज्ञान संकाय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी।

लेकिन हाल के दिनों में तुर्कों ने ट्विटर पर (या तो अपनी डिग्री दिखाओ या फिर इस्तीफ़ा) वायरल करते हुए राष्ट्रपति पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। इस हैशटैग का इस्तेमाल करके हजारों री-ट्वीट किए गए हैं। एक म्यूज़िक वीडियो भी है, जिसमें राष्ट्रपति से अपनी उच्च शिक्षा का प्रमाण प्रस्तुत करने का आह्वान किया गया है। राष्ट्रपति एर्दोआन को इस मामले में मरमरा विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से कोई मदद नहीं मिली है, जहां बताया गया है कि उपरोक्त संकाय कभी अस्तित्व में ही नहीं था, बल्कि आर्थिक एवं प्रशासनिक विज्ञान संकाय की स्थापना 1982 में हुई थी।

एर्दोआन की डिग्री की प्रामाणिकता पर संदेह सबसे पहले 2014 में, उनके राष्ट्रपति चुने जाने से पहले, एक विपक्षी सांसद ने जताया था, जिसमें दावा किया गया था कि 2014 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान मरमरा विश्वविद्यालय के अभिलेखागार बंद कर दिए गए थे। और पिछले कुछ दिनों में पुरानी रिपोर्टों के फिर से साझा होने के परिणामस्वरूप यह चर्चा फिर से शुरू हो गई है, जिसमें कहा गया है कि मरमरा विश्वविद्यालय के अभिलेखागार फिर से खोल दिए गए हैं, लेकिन राष्ट्रपति की डिग्री नहीं मिल रही है। तुर्की में राष्ट्रपति बनने के लिए आधिकारिक तौर पर चार साल की डिग्री होना अनिवार्य शर्त है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि अगर उनकी डिग्री असली नहीं पाई गई, तो क्या उन्हें पद से हटाया जा सकता है।

एर्दोआन चाहे जितना भी राष्ट्रवाद बघार लें, इस देश की अर्थव्यवस्था ख़राब हालत में है। एर्दोआन के अपने मतदाता भी उच्च मुद्रास्फीति, आय असमानता, आवास और रसोई की लागत, और युवाओं के लिए बेरोज़गारी का सामना कर रहे हैं। बेहतर जीवन बनाने के आर्थिक अवसर और भी अधिक मायावी होते जा रहे हैं। वास्तव में, जैसे ही डिप्लोमा रद्द के विरुद्ध लोग सड़क पर उतरे, बाज़ारों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। केंद्रीय बैंक को मुद्रा भंडार से पैसे निकालने पड़े। मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए अब तक 40 अरब डॉलर का उपयोग करना पड़ा।

अभियान

रहस्यमयी शिवधाम और घंटियों का अद्भुत रहस्य

भारत की भूमि पर धर्म, अध्यात्म और रहस्य का ऐसा अनोखा संगम है, जो हर युग में भक्तों और साधकों को आकर्षित करता रहा है। भगवान शिव के मंदिरों की बात हो तो हर एक मंदिर की अपनी अनूठी परंपरा, मान्यता और रहस्य होते हैं। कहीं शिव को मदिरा चढ़ाई जाती है, कहीं भांग और धतूरा, तो कहीं पूजा के समय विशेष वाद्य बजाए जाते हैं। लेकिन कुछ शिव मंदिर ऐसे भी हैं जहाँ पूजा तभी पूर्ण मानी जाती है जब भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ घंटी बजाता है। इन स्थानों पर घंटी केवल एक ध्वनि नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का वह माध्यम है जो भक्त और भगवान के बीच सेतु बनाती है। हिंदू धर्म में घंटी को पवित्रता और चेतना का प्रतीक माना गया है। यह विश्वास किया जाता है कि जब कोई साधक मंदिर की घंटी बजाता है तो उस ध्वनि से वातावरण की सारी नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं और स्थान पवित्र हो उठता है। साथ ही घंटी की गूंज साधक के भीतर की चंचलता को शांत करके मन को एकाग्र करती है। ऐसा भी कहा जाता है कि घंटी की ध्वनि

ब्रह्मांड की मूल ध्वनि "ॐ" की प्रतिध्वनि होती है, जो साधक को दिव्यता से जोड़ती है।

तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित कैलाशनाथ मंदिर इसका सबसे प्राचीन और अद्भुत उदाहरण है। आठवीं शताब्दी में पल्लव वंश द्वारा निर्मित यह मंदिर स्थापत्य कला का अद्वितीय नमूना है। यहाँ की परंपरा यह है कि भक्त जब भी शिव के दरबार में प्रवेश करता है तो सबसे पहले घंटी बजाकर अपनी चेतना को जागृत करता है। यहाँ घंटी बजाना केवल शिव को जगाने का कार्य नहीं बल्कि स्वयं के भीतर सुप्त पड़े आध्यात्मिक ऊर्जा-तत्व को सक्रिय करने की प्रक्रिया मानी जाती है। मंदिर की विशाल दीवारों और गर्भगृह में गूंजती घंटियों की ध्वनि साधकों को ध्यान की अवस्था में ले जाती है। विश्वास है कि जो भी यहाँ सच्चे मन से घंटी बजाकर पूजा करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर भी घंटी की परंपरा के लिए विशेष प्रसिद्ध है। बारह ज्योतिर्लिंगों में अंतिम स्थान रखने वाला यह मंदिर एलोरा की गुफाओं के निकट स्थित है। यहाँ की परंपरा यह है कि कोई भी भक्त मंदिर में प्रवेश करने से पहले मुख्य द्वार पर लगी घंटी को अवश्य बजाए। इसे केवल पूजा का प्रारंभ मानना भूल होगी। यह वास्तव में शिव को अपनी उपस्थिति का संकेत है, मानो भक्त कह रहा हो—"हे महादेव! मैं आपके द्वार पर आया हूँ, अपनी नकारात्मकता बाहर छोड़कर आपकी शरण में प्रवेश कर रहा हूँ।" यहाँ घंटी की गूंज भक्त के मन को पवित्र करती है और उसकी प्रार्थना सीधे शिव तक पहुँचती है। हरियाणा का घंटेश्वर महादेव मंदिर तो घंटियों की ध्वनि का अद्भुत संसार है। यहाँ प्रवेश करते ही भक्त को सैकड़ों छोटी-बड़ी घंटियों की झंकार सुनाई देती है, जो मंदिर की पहचान है। भक्त मानते हैं कि यहाँ अगर कोई श्रद्धालु सच्चे मन से भगवान शिव का नाम लेकर घंटी बजाता है तो उसकी हर मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। इस मंदिर में एक विशेष परंपरा है कि जब किसी की मन्नत पूरी हो जाती है तो वह यहाँ बड़ी पीतल की घंटी चढ़ाता है। उन घंटियों को सम्मानपूर्वक मंदिर परिसर में टांग दिया जाता है। सावन के पावन महीने और महाशिवरात्रि पर जब हजारों-लाखों भक्त यहाँ एक साथ घंटी बजाते हैं तो वातावरण इतना रहस्यमयी और शक्तिशाली हो उठता है कि साधक स्वयं को दिव्यता में खोया हुआ महसूस करता है। इन तीनों शिवधामों में घंटी का महत्व केवल परंपरा तक सीमित नहीं है। यह वह आध्यात्मिक विज्ञान है जिसे प्राचीन ऋषियों ने समझा और पीढ़ियों तक सुरक्षित रखा। घंटी की ध्वनि जब वायु में गूंजती है तो वह स्पंदन उत्पन्न करती है, जो साधक के शरीर के ऊर्जा-केंद्रों यानी चक्रों को संतुलित करती है। योग और तंत्र शास्त्र में भी कहा गया है कि घंटी की ध्वनि साधना की स्थिति को स्थिर करती है और साधक के भीतर सोई हुई कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में सहायक होती है। इस प्रकार महादेव के ये रहस्यमयी धाम केवल ईंट-पत्थरों की इमारतें नहीं हैं, बल्कि अध्यात्म, ऊर्जा और चेतना के जीवंत केंद्र हैं। यहाँ घंटी बजाना केवल परंपरा नहीं बल्कि एक अदृश्य रहस्य का उद्घाटन है। शायद यही कारण है कि जो भी भक्त यहाँ पहुँचता है और श्रद्धा से घंटी बजाता है, उसका मन दिव्यता से भर उठता है और उसकी आत्मा महादेव की शरण में शांति का अनुभव करती है।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA

इश्क़ की आग में राख हुआ परिवार : दादी प्रेमी संग फरार, पीछे छूटा आंसुओं का समंदर

झांसी के मऊरानीपुर क्षेत्र के ग्राम स्यावरी में घटी यह घटना किसी फ़िल्मी कहानी से कम नहीं लगती, लेकिन यह सच्चाई है जिसने पूरे इलाके को सकते में डाल दिया है। साधारण मजदूर परिवार का जीवन उस समय हिलकर रह गया जब 40 वर्षीय सुखवती, जो दो बेटों, दो बहुओं और पोते-पोतियों वाली दादी है, अचानक अपने 35 वर्षीय प्रेमी अमर सिंह प्रजापति के साथ घर छोड़कर फरार हो गई। सुखवती का परिवार मेहनतकश और सीधा-सादा था। पति कामता प्रसाद रोज़गार के लिए खेतों और मज़दूरी पर निर्भर थे। घर में दो बेटे और उनकी पत्नियाँ थीं, जिनके छोटे-छोटे बच्चे सुखवती की गोद में खेलते थे। बाहर से देखने पर यह परिवार एक साधारण भारतीय ग्रामीण परिवार जैसा था, लेकिन भीतर एक ऐसी कहानी पल रही थी, जिसकी भनक किसी को नहीं थी।

करीब ढाई साल पहले सुखवती मजदूरी के लिए भिंड जिले के ईंट भट्टों पर गई। वहीं उसकी मुलाकात अमर सिंह प्रजापति से हुई। मुलाकातें बढ़ीं, बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और धीरे-धीरे यह रिश्ता दोस्ती से निकलकर प्रेम में बदल गया। सुखवती को घर लौटाया गया जब पति को उसके बदलते व्यवहार का अंदेशा हुआ, लेकिन प्रेम की डोर टूटने के बजाय और मज़बूत हो गई। चोरी-छिपे मोबाइल पर बातचीत जारी रही, और दिलों का यह बंधन और गहराता चला गया।

वक़्त ने दोनों को एक ऐसा मौका दिया जिसने उनके रिश्ते को खुले में ला खड़ा किया। कुछ दिन पहले कामता प्रसाद अपने बेटे का इलाज कराने झाँसी गए थे। घर पर अकेली सुखवती ने वही किया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। उसने घर में रखे गहनों और नकदी को उठाया और अपने प्रेमी अमर सिंह संग भाग निकली। जब पति लौटा, तो पाया कि घर की औरत, गहने और पैसा—सब कुछ जा चुका है।

यह खबर पूरे गाँव में आग की तरह फैल गई। बहुएँ रो-रोकर बेहाल हो गईं, पोते बिना दादी के गोद की गर्माहट के सूने पड़ गए। कामता प्रसाद का दिल टूट चुका था। उनका कहना था कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी पत्नी उन्हें छोड़ देगी। पुलिस थाने पहुँचकर उन्होंने तहरीर दी और इंसाफ की गुहार लगाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन परिवार के टूटे हुए विश्वास को कौन जोड़ पाएगा, यह सवाल बना हुआ है।

गाँव में अब लोग तरह-तरह की बातें कर रहे हैं। कोई कहता है कि इश्क़ उम्र नहीं देखता, तो कोई कहता है कि यह एक आवेग था जिसने पूरे परिवार की नींव हिला दी। लोग फुसफुसाते हुए यह भी कहते हैं कि प्रेम में डूबकर सुखवती ने रिश्तों और जिम्मेदारियों को ठुकरा दिया, लेकिन इससे उस घर में जो आँसू और सन्नाटा भर गया, उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता।

यह घटना समाज के सामने कई सवाल छोड़ जाती है—क्या प्रेम इतना शक्तिशाली है कि वह उम्र, रिश्तों और सामाजिक मर्यादाओं को तोड़ देता है? या यह केवल एक आवेग था जिसने एक पूरे परिवार की खुशियाँ छीन लीं? सुखवती और अमर सिंह की यह कहानी अब गाँव की चौपालों से लेकर पुलिस थाने तक चर्चा का विषय बनी हुई है, और शायद आने वाले समय में यह मिसाल भी बने कि कभी-कभी इश्क़ सब कुछ छीन लेता है और पीछे छोड़ जाता है सिर्फ़ आंसुओं का समंदर।

बिहार में बड़े पैमाने पर IAS अधिकारियों का तबादला, पटना को मिला नया कमिश्नर और चंद्रशेखर पहुंचे नीतीश टीम में

(जीएनएस)। पटना में विधानसभा चुनाव की आहट के बीच नीतीश सरकार ने एक बार फिर प्रशासनिक फेरबदल किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने कई आईएएस अधिकारियों के तबादले की अधिसूचना जारी की है। इस फेरबदल में सबसे अहम बदलाव पटना प्रमंडल के कमिश्नर पद पर हुआ है।

पटना प्रमंडल का नया कमिश्नर अनिमेष कुमार पराशर को बनाया गया है। वे पहले पटना नगर निगम के म्युनिसिपल कमिश्नर रह चुके हैं और अब उन्हें प्रमंडल कमिश्नर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही वे बिहार राज्य निर्माण विकास निगम (बुडको) के प्रबंध निदेशक (एमडी) के अतिरिक्त प्रभार में भी बने रहेंगे।

वहीं, मौजूदा कमिश्नर डॉ. चंद्रशेखर को मुख्यमंत्री सचिवालय का सचिव नियुक्त किया गया है। उनके पास आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव और बिहार राज्य पुल निर्माण निगम का भी अतिरिक्त प्रभार होगा। चंद्रशेखर पहले पटना के जिलाधिकारी भी रह चुके हैं और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की टीम का अहम हिस्सा बन गए हैं। इस फेरबदल में यशपाल मीणा को पटना नगर निगम का नया नगर आयुक्त बनाया गया है। वे इससे पहले स्वास्थ्य विभाग में अपर सचिव की भूमिका निभा रहे थे। हिमांशु शर्मा को स्वास्थ्य विभाग में विशेष सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, जबकि शीर्षत कपिल अशोक को कम्फेड का प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

अनुमंडल स्तर पर भी बदलाव किए गए हैं। कृतिका मिश्रा को गोगरी (खगड़िया) अनुमंडल का एसडीओ बनाया गया है। इसके अलावा, प्रधुम्न सिंह यादव को पटना नगर निगम में अपर नगर आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा एक सप्ताह के भीतर होने वाली बताई जा रही है। इससे पहले भी पिछले कुछ महीनों में लगातार आईएएस, आईपीएस और बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का तबादला किया जा चुका है। विपक्ष इसे चुनावी तैयारी बताते हुए सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है, जबकि नीतीश सरकार इसे नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया बता रही है।

बिहार की राजनीति और चुनावी गणित को देखते हुए यह फेरबदल न केवल प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि यह संदेश भी देता है कि सरकार चुनाव से पहले प्रशासनिक मोर्चे को पूरी तरह नियंत्रण में रखना चाहती है।

झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारियाँ तेज, सरकार जल्द ले सकती है फैसला

(जीएनएस)। झारखंड की राजनीति में इन दिनों नगर निकाय चुनाव को लेकर हलचल बढ़ गई है। लंबे समय से टल रहे इन चुनावों को लेकर अब राज्य में नई ऊर्जा दिख रही है। हाल ही में राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में अलका तिवारी ने कार्यभार संभाला और सबसे पहले आयोग की अब तक की तैयारियों का जायजा लिया। कार्यभार संभालते ही उन्होंने चुनावी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की गंभीरता दिखाई और अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद वे राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शिष्टाचार भेंट के लिए राजभवन और मुख्यमंत्री आवास पहुँचीं। इस दौरान आयोग के कामकाज, अब तक की प्रक्रिया और आगे की दिशा पर चर्चा हुई। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम ने स्पष्ट किया है कि आयोग नगर निकाय चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अधिकारियों ने प्रारंभिक तैयारी पूरी कर ली है और अब केवल सरकार के निर्णय का इंतजार है। नगर विकास विभाग को वार्डों और पदों का निर्धारण कर आरक्षण व्यवस्था तय करनी है, जिसके आधार पर चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। आरक्षण का यह पहलू अहम है, क्योंकि इसके तय होते ही चुनाव की तारीखें भी सामने आ सकेंगी। इसी बीच नगर निकाय चुनाव का मुद्दा झारखंड हाईकोर्ट में भी लंबित है। 14 अक्टूबर को इस मामले में अगली सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में अदालत ने राज्य सरकार को चुनाव टालने पर कड़ा रुख दिखाया था और साफ संकेत दिए थे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में नगर निकाय चुनाव को अनावश्यक रूप से लंबा खींचना उचित नहीं है। अदालत की इस सख्ती के बाद यह संभावना और भी बढ़ गई है कि सरकार 14 अक्टूबर से पहले चुनाव को लेकर कोई ठोस कदम उठाएगी। कांग्रेस ने भी संकेत दिए हैं कि हेमंत सोरेन सरकार नगर निकाय चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। पार्टी का कहना है कि नए निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के बाद अब चुनाव में कोई बड़ी बाधा नहीं है। झारखंड के शहरी निकायों में लंबे समय से चुनाव न होने के कारण जनता और स्थानीय प्रतिनिधियों में असंतोष बढ़ रहा है। ऐसे में सरकार और निर्वाचन आयोग दोनों पर दबाव है कि जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी कराई जाए। झारखंड के राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि नगर निकाय चुनाव का समय और परिणाम राज्य की राजनीति पर गहरा असर डाल सकते हैं। चूँकि विधानसभा चुनाव भी निकट भविष्य में आने वाले हैं, इसलिए नगर निकायों का जनादेश सरकार और विपक्ष दोनों के लिए संकेतक साबित होगा। हेमंत सोरेन सरकार इन चुनावों में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है, वहीं विपक्षी दल भी इसे राज्य में अपनी पकड़ साबित करने का अवसर मान रहे हैं।

कपड़ा उद्योग को केंद्र सरकार की राहत, पीएलआई योजना की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 दिसंबर की गई

(जीएनएस)। भारत सरकार ने कपड़ा उद्योग को बड़ी राहत देते हुए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत आवेदन दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दी है। यह कदम तब उठाया गया है जब अगस्त 2025 में शुरू हुए नवीनतम आमंत्रण राउंड में मानव निर्मित फाइबर (MMF) परिधान, MMF फैब्रिक्स और तकनीकी वस्त्रों से भारी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए। इस बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार ने संभावित निवेशकों को अतिरिक्त समय देने का निर्णय लिया है। कपड़ा मंत्रालय ने कहा है कि आवेदन विंडो का विस्तार उद्योग जगत की गहरी रुचि और बाजार की संभावनाओं को दर्शाता है। मंत्रालय के अनुसार, यह कदम न केवल निवेशकों को योजना में भाग लेने का एक और अवसर देगा बल्कि देश के घरेलू वस्त्र विनिर्माण क्षेत्र में बढ़ते विश्वास और मांग को भी सामने लाता है। उद्योग के विशेषज्ञों का मानना है कि यह विस्तार निवेश प्रवाह को और मजबूत करेगा तथा भारत को वैश्विक परिधान बाजार में प्रतिस्पर्धा करने योग्य बनाएगा।

वस्त्र क्षेत्र के लिए पीएलआई योजना 24 सितंबर 2021 को अधिसूचित की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य एमएमएफ परिधान और फैब्रिक्स के साथ-साथ तकनीकी वस्त्रों के उत्पादन को बढ़ावा देना है। इस योजना के माध्यम से सरकार का लक्ष्य उद्योग को बड़ा आकार और पैमाना देना, रोजगार सृजित करना, निर्यात को बढ़ावा देना और उद्योग को दीर्घकालीन रूप से व्यवहार्य बनाना है।

अब तक 74 कंपनियों को इस योजना के तहत लाभार्थी के रूप में चुना गया है, जिनका कुल प्रतिबद्ध निवेश लगभग 28,711 करोड़ रुपये है। इन कंपनियों से आने वाले वर्षों में बड़े पैमाने पर उत्पादन क्षमता, तकनीकी नवाचार और रोजगार सृजन की उम्मीद की जा रही है।

सरकार के इस फैसले को उद्योग जगत ने सकारात्मक संकेत के रूप में देखा है। विश्लेषकों का मानना है कि तिथि विस्तार से न केवल निवेशकों को तैयारी का अतिरिक्त समय मिलेगा, बल्कि छोटे और मध्यम स्तर के उद्योग भी योजना से जुड़कर इसका लाभ उठा सकेंगे। इस कदम से भारत की कपड़ा अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और "मेक इन इंडिया" पहल को भी बल मिलेगा।

हिम्मतनगर रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है मल्टीमॉडल हब, अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकास कार्य प्रगति पर, स्टेशन बिल्डिंग का लगभग 80% कार्य पूर्ण

रेलवे स्टेशन को शहर से इंटीग्रेट करने के लिए हाइवे तक 12 मीटर चौड़ी नई सड़क का निर्माण किया जा रहा है जिससे यात्रियों मिलेगी सीधी कनेक्टिविटी

▸▸ एक एकड़ के करीब विशाल पार्किंग की सुविधा

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल के हिम्मतनगर रेलवे स्टेशन का कायाकल्प अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत तेजी से प्रगति पर है। स्टेशन भवन का लगभग 80% कार्य पूरा हो चुका है और आगामी समय में यात्रियों को आधुनिक एवं उत्कृष्ट सुविधाओं से युक्त स्टेशन उपलब्ध होगा। यह पुनर्विकास न केवल यात्री सुविधाओं में वृद्धि करेगा बल्कि क्षेत्रीय पर्यटन और आर्थिक विकास को भी नई दिशा प्रदान करेगा।

सुविधाएँ:

▸▸ स्टेशन का प्रवेश द्वार 12 मीटर चौड़ा बनाया जा रहा है, जिससे यात्री सहज रूप से स्टेशन में प्रवेश कर सकेंगे।

▸▸ लगभग 4110 यार्ड (करीब एक एकड़ जमीन) की विशाल पार्किंग, जो पर्याप्त वाहन पार्किंग की सुविधा प्रदान करेगा।

▸▸ पिक अप/ड्रॉप ऑफ क्षेत्र, जिससे यात्रियों के वाहन ले जाने और छोड़ने में सुविधा होगी।

▸▸ परिसर में आकर्षक लेंडस्केपिंग की गई है, जिससे यात्रियों और स्थानीय लोगों के लिए खुला और हरा-भरा वातावरण सुनिश्चित होता है।

▸▸ बड़ा कॉन्कोर्स क्षेत्र, यात्रियों के लिए खुला और व्यवस्थित प्रतीक्षालय की व्यवस्था है।

▸▸ डीलक्स ए.सी. प्रतीक्षालय एवं नॉन ए.सी. प्रतीक्षालय है, जो सामान्य यात्रियों के लिए आरामदायक प्रतीक्षालय प्रदान करेगा।

▸▸ फुट ओवर ब्रिज 36 फीट चौड़ा और 67 मीटर लंबा होगा और इसके निर्माण से प्लेटफार्मों के बीच सुरक्षित आवागमन उपलब्ध होगा।

▸▸ प्लेटफॉर्म-1 कवरशेड 640 वर्गमीटर में फैला है, जबकि प्लेटफॉर्म-2 और 3 कवरशेड 320 वर्गमीटर हैं, जो बारिश और धूप से सुरक्षा प्रदान करेगा।

▸▸ दिव्यांगजन हेतु शौचालय की व्यवस्था।

▸▸ निकास द्वार 12 मीटर चौड़ा है, जिससे स्टेशन से सहज निकास संभव होगा

▸▸ सर्कुलेटिंग एरिया और पार्किंग का विकास किया गया है, जिससे वाहन संचालन सुव्यवस्थित होगा।

▸▸ स्टेशन फसाड़ और प्रवेश द्वार का सौंदर्यीकरण किया गया है।

▸▸ आधुनिक स्टेशन भवन का निर्माण किया गया है, जो बेहतर सुरक्षा, बैठने और टिकटिंग सुविधा प्रदान करेगा।

वर्तमान में हिम्मतनगर स्टेशन पर 12 रेगुलर एवं 4 स्पेशल ट्रेनें रुकती है, यहाँ से प्रतिदिन लगभग 2500 यात्री यात्रा करते है और इस स्टेशन को भविष्य में प्रतिदिन लगभग 50,000 यात्रियों की आवाजाही और सुविधा को ध्यान में रखकर विकसित किया जा रहा है।

पुनर्विकसित हिम्मतनगर रेलवे स्टेशन यात्रियों को सुरक्षित, आधुनिक और सहज यात्रा अनुभव प्रदान करेगा। यह पुनर्विकास केवल यात्री सुविधाओं तक सीमित नहीं है बल्कि स्थानीय व्यापार, पर्यटन और रोजगार को भी प्रोत्साहन देगा। नया हिम्मतनगर स्टेशन भविष्य में साबरकांठा क्षेत्र के लिए स्मार्ट एवं आधुनिक रेल परिवहन का प्रतीक बनेगा। गुजरात सरकार के सहयोग से स्टेशन से मुख्य मार्ग तक लगभग 100 मीटर लंबी नई सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी सीधी कनेक्टिविटी स्टेशन एवं स्टेशन पर बन बनाए जा रहे 12 मीटर चौड़े फूटओवर ब्रिज से होगी। यह 12 मीटर चौड़े फूटओवर ब्रिज शहर के दोनों छोरों को जोड़ेगा, जिससे यात्रियों और स्थानीय नागरिकों को शहर से एक छोर से दूसरे छोर पर जाना आसान हो जाएगा। इसके साथ ही हिम्मतनगर–खेड़ब्रह्मा रेलवे लाइन का गेज परिवर्तन कार्य भी पूर्ण हो चुका है। इस मार्ग पर शीघ्र ही रेल सेवाएँ प्रारंभ होंगी, जिससे क्षेत्रीय यात्रियों को तेज़ एवं सुविधाजनक रेल संपर्क उपलब्ध होगा। इस नई कनेक्टिविटी से आसपास के शहरों तक रेलवे की पहुँच और मजबूत होगी, जिससे आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी तथा क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी।

भावनगर मंडल में 9 जोड़ी अतिरिक्त ट्रेनों में एम.एस.टी. (मासिक सीजन टिकट) धारकों को मिली यात्रा की अनुमति

(जीएनएस)। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे द्वारा भावनगर मंडल में 9 जोड़ी अतिरिक्त ट्रेनों में मासिक सीजन टिकट (MST) धारकों को यात्रा की अनुमति प्रदान की गई है। इस निर्णय से दैनिक रेल यात्रियों को किफायती एवं सुगम यात्रा का लाभ मिलेगा।

भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि एम.एस.टी. की सुविधा विशेष रूप से उन यात्रियों के लिए उपयोगी है जो प्रतिदिन कार्यालय, व्यवसाय या अध्ययन हेतु रेलमार्ग से यात्रा करते हैं। इस सुविधा के माध्यम से यात्री रियायती दर पर रेल यात्राएँ कर सकेंगे। यात्रियों को एक्सप्रेस एवं सुपरफास्ट ट्रेनों की द्वितीय श्रेणी के अनारक्षित कोचों में यात्रा की अनुमति दी गई है। सुपरफास्ट ट्रेनों से यात्रा करने वाले यात्रियों को सुपरफास्ट चार्ज देना होगा।

भावनगर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने यात्रियों से अपील की है कि वे इस सुविधा का अधिकतम लाभ उठाएँ तथा टिकट संबंधी नियमों का पालन करते हुए सुव्यवस्थित यात्रा करें। इस सुविधा के माध्यम से न केवल यात्रियों का समय एवं धन की बचत होगी बल्कि यातायात व्यवस्था और अधिक सरल एवं सुलभ बनेगी।

ट्रेनों का विस्तृत विवरण इस प्रकार है:

1.ट्रेन संख्या 11463/11464 सोमनाथ-जबलपुर एक्सप्रेस – एम.एस.टी. धारक यात्री वेरावल–जूनागढ़–राजकोट सेक्शन में यात्रा कर सकेंगे।

2.ट्रेन संख्या 11465/11466 सोमनाथ-जबलपुर एक्सप्रेस – एम.एस.टी. धारक यात्री वेरावल–जूनागढ़–राजकोट सेक्शन में यात्रा कर सकेंगे।

3.ट्रेन संख्या 12971/12972 बांद्रा–भावनगर सुपरफास्ट – एम.एस.टी. धारक यात्री अहमदाबाद–सुरेन्द्रनगर–भावनगर सेक्शन में यात्रा कर सकेंगे।

4.ट्रेन संख्या 19119/19120 अहमदाबाद–सोमनाथ एक्सप्रेस – एम.एस.टी. धारक यात्री अहमदाबाद–सोमनाथ–अहमदाबाद सेक्शन में यात्रा कर सकेंगे।

5.ट्रेन संख्या 19209/19210 भावनगर–ओखा एक्सप्रेस – एम.एस.टी. धारक यात्री भावनगर–ओखा–भावनगर सेक्शन में यात्रा कर सकेंगे।

6.ट्रेन संख्या 19571/19572 राजकोट–पोरबंदर एक्सप्रेस – एम.एस.टी. धारक यात्री राजकोट–पोरबंदर–राजकोट सेक्शन में यात्रा कर सकेंगे।

7.ट्रेन संख्या 19205/19206 भावनगर–महुवा एक्सप्रेस – एम.एस.टी. धारक यात्री भावनगर–महुवा–भावनगर सेक्शन में यात्रा कर सकेंगे।

8.ट्रेन संख्या 19207/19208 पोरबंदर–राजकोट एक्सप्रेस – एम.एस.टी. धारक यात्री पोरबंदर–राजकोट–पोरबंदर सेक्शन में यात्रा कर सकेंगे।

9.ट्रेन संख्या 20966/20965 भावनगर–साबरमती सुपरफास्ट इंटरसिटी – एम.एस.टी. धारक यात्री भावनगर–साबरमती–भावनगर सेक्शन में यात्रा कर सकेंगे।

चांदलोडिया – खोड़ियार रेलखंड के डबलिंग हेतु फाइनल लोकेशन सर्वे को मिली मंजूरी

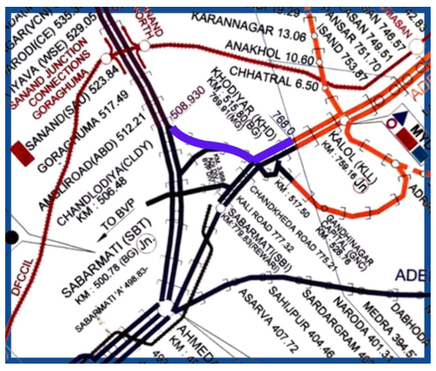

(जीएनएस)। रेल मंत्रालय ने पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मण्डल के चांदलोडिया–खोड़ियार रेलखंड के डबलिंग हेतु फाइनल लोकेशन सर्वे (FLS) को स्वीकृति प्रदान कर दी है। हाल ही में रेलवे बोर्ड के सदस्य (इन्फ्रास्ट्रक्चर) श्री नवीन गुलाटी के अहमदाबाद मण्डल दौरे के दौरान इस खंड के डबलिंग की मांग की गई थी, जिसे ध्यान में रखते हुए रेलवे मंत्रालय ने फाइनल लोकेशन सर्वे के लिए हरी झंडी दिखाई है।

चांदलोडिया 'बी' केबिन से खोड़ियार तक 10 किलोमीटर लंबा यह डबल लाइन प्रोजेक्ट खंड की क्षमता और परिचालन दक्षता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। फाइनल लोकेशन सर्वे में एलाइनमेंट, भूमि आवश्यकता, तकनीकी आकलन सहित सभी आवश्यक अध्ययन किए जाएंगे, जिससे भविष्य में संरचना और इन्फ्रास्ट्रक्चर के कार्यों की योजना को सटीक और प्रभावी बनाया जा सके। यह कार्य संबंधित इंजीनियरिंग विभाग की टीम द्वारा संपन्न किया जाएगा।

चांदलोडिया – खोड़ियार रेलखंड का परिचालन महत्व

चांदलोडिया – खोड़ियार खंड का परिचालन महत्व अत्यधिक है। यह खंड गांधीनगर कैपिटल को राजकोट और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे (NWR) क्षेत्र से जोड़ने वाले महत्वपूर्ण मार्ग पर स्थित है। गांधीनगर से चलने वाली सभी ट्रेनें जो राजकोट, ओखा, पोरबंदर, भावनगर, सोमनाथ और NWR क्षेत्र जैसे जोधपुर, जयपुर, अजमेर आदि की ओर जाती हैं, इसी खंड से होकर गुजरती हैं। भारी यातायात के कारण इस मार्ग पर ट्रेनों की गति और समयबद्ध संचालन में अक्सर चुनौतियाँ आती रही हैं। डबलिंग के बाद इस खंड की क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे यात्रियों और मालगाड़ियों के संचालन में सुधार होगा। यह परियोजना न केवल ट्रेन संचालन की स्थिरता और समयबद्धता को सुनिश्चित करेगी, बल्कि क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करने में भी योगदान देगी। सौराष्ट्र क्षेत्र को गुजरात की राजधानी गांधीनगर और आगे दिल्ली/उत्तर भारत से जोड़ने वाले मार्ग की निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी। इसके अलावा, डबलिंग के माध्यम से मार्ग की भीड़ कम होगी, ट्रेनों की औसत गति बढ़ेगी और यात्रियों को समय पर सेवाएँ मिलने में सुविधा होगी। चांदलोडिया – खोड़ियार खंड की डबलिंग से न केवल परिचालन दक्षता में सुधार होगा, बल्कि यह क्षेत्र के आर्थिक विकास और माल व यात्री परिवहन की सुगमता में भी योगदान देगा। आम जनता और यात्रियों के लिए यह कदम लंबी दूरी की यात्रा को अधिक आरामदायक, सुरक्षित और समयबद्ध बनाने में सहायक सिद्ध होगा।

आंबलियासन-विजापुर गेज परिवर्तन कार्य अंतिम चरण में आम जनता से रेल पटरी से दूर रहने की अपील

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मण्डल पर आंबलियासन से विजापुर के बीच 41.5 किमी लंबी रेल लाइन का गेज परिवर्तन (GC) का कार्य वर्तमान में अंतिम चरण में है। इस संबंध में आम जनता से आग्रह है कि वे रेलवे ट्रैक के पास अनावश्यक रूप से न जाएँ और पूरी सावधानी बरतें। इस समय इस लाइन पर विभागीय ट्रेनें, टेंपिंग मशीनें और अन्य तकनीकी मशीनें ट्रैक पर कार्यरत हैं। आगामी दिनों में इस ट्रैक पर तीव्र गति से ट्रेन का स्पीड ट्रायल भी किया जाएगा। यह ट्रायल रेल परिचालन शुरू करने से पहले की एक अनिवार्य प्रक्रिया है। स्थानीय निवासियों, किसानों और राहगीरों से निवेदन है कि वे रेलवे लाइन को अनधिकृत स्थानों से पार न करें। बच्चों और पशुओं को ट्रैक से दूर रखें और किसी भी प्रकार की असावधानी से बचें। यह रेल लाइन क्षेत्र के लोगों की सुविधा और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इसलिए सभी से सहयोग की अपेक्षा है ताकि यह कार्य सुरक्षित और सफलतापूर्वक पूर्ण किया जा सके।

भावनगर-साबरमती सुपरफास्ट इंटरसिटी ट्रेन में 4 अतिरिक्त जनरल कोच की सुविधा

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भावनगर मंडल की भावनगर-साबरमती दैनिक सुपरफास्ट इंटरसिटी ट्रेन में अस्थाई तौर पर अतिरिक्त कोच की सुविधा प्रदान की जा रही है।

भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि यात्रियों की सुविधा हेतु निम्नानुसार अस्थायी व्यवस्था की गई है –

▸▸ ट्रेन संख्या 20966/20965 भावनगर-साबरमती-भावनगर दैनिक सुपरफास्ट इंटरसिटी ट्रेन में 04 (चार) जनरल श्रेणी के अतिरिक्त कोच जोड़े जाएंगे।

▸▸ यह सुविधा 04 अक्टूबर, 2025 से 31 जनवरी, 2026 तक उपलब्ध रहेगी।

रविवार, 05 अक्टूबर, 2025 को कोई दिवसकालीन ब्लॉक नहीं

▸▸ पश्चिम रेलवे का माहिम एवं सांताक्रुज़ ▸▸ स्टेशनों के बीच रात्रिकालीन जम्बो ब्लॉक

(जीएनएस)। रेलपथ, सिगनलिंग प्रणाली तथा ऊपरी उपस्करों के रख-रखाव हेतु पश्चिम रेलवे द्वारा शनिवार/रविवार, 04/05 अक्टूबर, 2025 की मध्यरात्रि को माहिम एवं सांताक्रुज़ स्टेशनों के बीच अप एवं डाउन धीमी लाइनों पर 01.00 बजे से 04.30 बजे तक 3.5 घंटे का जम्बो ब्लॉक लिया जायेगा।

पश्चिम रेलवे के जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ब्लॉक के दौरान डाउन धीमी लाइन की सभी ट्रेनें मुंबई सेंट्रल एवं सांताक्रुज़ स्टेशनों के बीच डाउन फास्ट लाइनों पर चलायी जायेंगी। ये ट्रेनें प्लेटफॉर्म की अनुपलब्धता के कारण महालक्ष्मी, प्रभादेवी एवं माटुंगा रोड स्टेशनों पर नहीं रुकेंगी तथा प्लेटफॉर्म की अपर्याप्त लंबाई के कारण इन ट्रेनों को लोअर परेल, माहिम एवं खार रोड स्टेशनों पर डबल हॉल्ट दिया जायेगा। इसी प्रकार, अप धीमी लाइन की ट्रेनें सांताक्रुज़ से मुंबई सेंट्रल/चर्चगेट के बीच अप फास्ट लाइन पर चलायी जायेंगी, जो खार रोड स्टेशन पर डबल हॉल्ट लेंगी तथा प्लेटफॉर्म की अनुपलब्धता के कारण महिम, माटुंगा रोड, प्रभादेवी, लोअर परेल एवं महालक्ष्मी स्टेशनों पर नहीं रुकेंगी। ब्लॉक के कारण कुछ अप एवं डाउन उपनगरीय ट्रेनें निरस्त रहेंगी।

इस ब्लॉक की विस्तृत जानकारी संबंधित स्टेशन मास्टरों के पास उपलब्ध है। यात्रियों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त ब्लॉक व्यवस्था को ध्यान में रखें।

अतः रविवार, 05 अक्टूबर, 2025 को पश्चिम रेलवे के उपनगरीय खंड पर कोई दिवसकालीन ब्लॉक नहीं रहेगा।

कानून का राज बनाम बुलडोज़र की राजनीति : सीजेआई गवई का सख्त संदेश

नई दिल्ली से आई यह खबर पूरे देश की न्यायिक और राजनीतिक बहस को नए सिरे से झकझोरने वाली है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बीआर गवई ने मॉरीशस में सर मॉरिस रॉल्ट मेमोरियल लेक्चर 2025 को संबोधित करते हुए साफ शब्दों में कहा कि भारतीय न्याय व्यवस्था रूल ऑफ लॉ, यानी कानून के शासन से चलती है, इसमें किसी भी तरह के बुलडोजर एक्शन की कोई जगह नहीं है।

सीजेआई ने कहा कि हाल के दिनों में कई राज्यों में देखे गए बुलडोज़र एक्शन—जहां आरोपी या संदिग्धों के घर और संपत्तियाँ प्रशासनिक आदेश पर ढहा दी जाती हैं—सीधे-सीधे संविधान की आत्मा और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। अनुच्छेद 21 नागरिकों को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार देता है। उन्होंने सख़्त लहजे में कहा—"सरकार एक साथ जज, जूरी और जल्लाद नहीं बन सकती। कानून की प्रक्रिया को दरकिनार कर बुलडोजर चलाना न्याय नहीं बल्कि अन्याय है।"

लेक्चर में मॉरीशस के राष्ट्रपति धरमबीर गोखूल, प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम और मुख्य न्यायाधीश रेहाना मंगली गुलबुल भी मौजूद थे। इस मंच से सीजेआई गवई ने दुनिया को संदेश दिया कि भारत में न्याय केवल किताबों का नियम नहीं है, बल्कि यह नैतिक और सामाजिक ढांचा है जो समानता, गरिमा और सुशासन सुनिश्चित करता है।

उन्होंने महात्मा गांधी और डॉ. भीमराव अंबेडकर की दृष्टि का उल्लेख करते हुए कहा कि लोकतंत्र में असली ताकत कानून के राज में है। जब तक हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा होगी, तभी लोकतंत्र मजबूत रहेगा।

सीजेआई गवई ने सुप्रीम कोर्ट के उन ऐतिहासिक फैसलों का भी जिक्र किया, जिनसे अदालत ने बार-बार यह साबित किया कि मनमानी सत्ता को कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तीन तलाक जैसे अन्यायपूर्ण प्रावधानों को खत्म करना, व्यभिचार कानून को निरस्त करना, चुनावी बॉन्ड स्कीम पर रोक और निजता को मौलिक अधिकार मानना—ये सभी फैसले इस बात के गवाह हैं कि भारतीय न्यायपालिका रूल ऑफ लॉ को केवल शब्दों में नहीं, बल्कि एक ठोस सिद्धांत बनाकर चलती है।

आज जब बुलडोज़र की राजनीति भारतीय समाज में चर्चा और विवाद का बड़ा विषय बनी हुई है, ऐसे समय पर सीजेआई का यह बयान बेहद महत्वपूर्ण है। यह न सिर्फ़ सरकारों को चेतावनी है, बल्कि जनता को भी भरोसा दिलाने वाला है कि अदालतें संविधान और कानून के राज की रक्षा करने के लिए खड़ी हैं।

इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह संदेश सत्ता के गलियारों में सुना जाएगा? क्या बुलडोज़र की जगह न्याय और कानून की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जाएगी? लोकतंत्र की यही असली कसौटी होगी।

कामकाजी महिलाओं का सच्चा सहारा: बिहारी पति निकले सबसे आगे

नई दिल्ली से आई इस ताज़ा रिपोर्ट ने पूरे देश का ध्यान खींचा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) और बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान (बिट्स पिलानी) द्वारा किए गए संयुक्त अध्ययन में यह चौंकाने वाला लेकिन सकारात्मक खुलासा हुआ है कि हिंदी पट्टी, खासकर बिहार में कामकाजी महिलाओं को अपने पति से सबसे अधिक सहयोग मिलता है।

यह रिपोर्ट इस मिथक को तोड़ती है कि हिंदी पट्टी के पारंपरिक समाजों में महिलाओं को स्वतंत्रता और समर्थन नहीं मिलता। इसके विपरीत, सर्वे से सामने आया है कि बिहार में कामकाजी महिलाएँ न केवल अपने पति का पूरा सहयोग महसूस करती हैं, बल्कि उन्हें माता-पिता और सास-ससुर से भी बराबर का समर्थन मिलता है।

अध्ययन में शामिल बिहार की 100 फीसदी शहरी महिलाओं ने साफ़ कहा कि उनकी नौकरी और करियर में उनके पति हर तरह से साथ देते हैं। चाहे घर के कामकाज हों, बच्चों की पढ़ाई हो या सामाजिक जिम्मेदारियाँ—पति बराबरी से कंधा मिलाकर चलते हैं। यही नहीं, ससुराल पक्ष भी बहुओं की नौकरी को बोझ नहीं मानता, बल्कि उनके प्रयासों में सहयोग करता है।

इसके विपरीत तस्वीर दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना की है। यहाँ कामकाजी महिलाओं ने सबसे अधिक शिकायत की कि न तो पति उनका सहयोग करते हैं और न ही परिवार के अन्य सदस्य। कई मामलों में तो महिलाओं ने यह तक कहा कि उनकी मेहनत की कमाई पर परिवार के लोग कब्ज़ा कर लेते हैं। इससे उनकी आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास दोनों पर असर पड़ता है। मध्य प्रदेश में स्थिति मिश्रित रही, लेकिन स्पष्ट अंतर यह दिखा कि बिहार की महिलाओं को जिस स्तर का समर्थन पति और ससुराल से मिला, वह अन्य राज्यों में दुर्लभ है।

रिपोर्ट का निष्कर्ष केवल एक सामाजिक तुलना नहीं है, बल्कि यह संकेत भी देता है कि बदलते हुए बिहार में रिश्तों की सोच भी बदल रही है। जहां पहले अक्सर पुरुषों को परिवार की जिम्मेदारी का अकेला वाहक माना जाता था, वहीं अब पति-पत्नी मिलकर जीवन और करियर की गाड़ी खींच रहे हैं। यह अध्ययन महिलाओं के अधिकार, समानता और सामाजिक न्याय की दिशा में एक आशा की किरण है। बिहार जैसे राज्य, जिन्हें अक्सर पिछड़ेपन और रूढ़ियों के लिए जाना जाता था, अब कामकाजी महिलाओं को सहयोग देने में सबसे आगे निकलकर एक नई सामाजिक तस्वीर पेश कर रहे हैं।

राजस्थान में मादक पदार्थों पर बड़ी कार्रवाई: 1,000 किलोग्राम गांजा जब्त, दो तस्कर गिरफ्तार

(जीएनएस)। राजस्थान पुलिस ने झुंझुनू जिले में मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की है। गैंगस्टर रोधी कार्यबल और झुंझुनू जिला विशेष टीम ने मिलकर पांच करोड़ रुपये मूल्य का लगभग 1,000 किलोग्राम गांजा जब्त किया और दो प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई प्रहार नामक अभियान के तहत की गई, जिसे पुलिस को एक विशिष्ट खुफिया सूचना मिलने के बाद शुरू किया गया।

सूचना के अनुसार, गांजे की यह खेप ओडिशा से राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में आ रही थी। तस्करों ने इसे एक कंटेनर ट्रक में छिपा रखा था, जिसमें गांजे को चालक की सीट के पीछे विशेष रूप से निर्मित चैंबर में रखा गया था। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) दिनेश एमएन ने बताया कि सूचना के आधार पर झुंझुनू जिले के उदयपुरवाटी इलाके में नाकाबंदी की गई और वाहन को रोका गया। ट्रक की तलाशी लेने पर पुलिस को कुल 1,014 किलोग्राम गांजे की बोरियां बरामद हुईं। अधिकारियों के अनुसार, यह खेप शेखावाटी में मादक पदार्थों के माफिया राजू पचलेंगी और गोकुल के लिए भेजी जा रही थी। इस कार्रवाई के दौरान तस्करी नेटवर्क के दो प्रमुख सदस्य सुभाष गुर्जर और प्रमोद गुर्जर को मौके से गिरफ्तार किया गया, जिनकी पहचान सीकर निवासी के रूप में हुई।

एडीजी ने बताया कि यह सिर्फ एक जब्ती नहीं है, बल्कि मादक पदार्थों के संगठित आपूर्ति नेटवर्क पर की गई एक "सर्जिकल स्ट्राइक" है। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई से तस्करी के बड़े नेटवर्क को भारी झटका लगेगा और अन्य संभावित आपराधिक गतिविधियों पर भी प्रभाव पड़ेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि राजस्थान जैसे राज्य, जो भौगोलिक रूप से तस्करी मार्गों के बीच में स्थित हैं, वहां मादक पदार्थों की तस्करी बड़े पैमाने पर होती है। इस तरह की सफल कार्रवाई न केवल कानून व्यवस्था को मज़बूत करती है, बल्कि आम जनता को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने में भी सहायक होती है।

पुलिस अब इस गिरफ्तारी से जुड़े और अन्य नेटवर्क के सदस्यों की पहचान और उनके पीछे के संगठन को तोड़ने के लिए गहन जांच कर रही है। इसके अलावा बरामद गांजे की परीक्षण और निपटान प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इस कार्रवाई से साफ संदेश गया है कि राज्य में मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी रहेगा और किसी भी रूप में कानून का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

प्रधानमंत्री मोदी का युवाओं को तोहफा: 62 हजार करोड़ की शिक्षा और रोजगार योजनाओं की शुरुआत

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को युवाओं और शिक्षा जगत के लिए एक ऐसा पैकेज देने जा रहे हैं, जिसकी गूंज आने वाले दशकों तक सुनाई देगी। कुल 62,000 करोड़ रुपये की लागत वाली इन योजनाओं का सीधा असर करोड़ों छात्रों, युवाओं और कामकाजी वर्ग पर पड़ेगा। सरकार का दावा है कि इन पहलों से न केवल पढ़ाई और स्किल ट्रेनिंग को नया आयाम मिलेगा, बल्कि रोजगार के अवसरों में भी व्यापक वृद्धि होगी।

सबसे अहम योजना प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआई (पीएम-सेतु) है, जिस पर लगभग 60,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा। इस योजना के तहत देशभर के 1,000 सरकारी आईटीआई कॉलेजों को अत्याधुनिक तकनीक और सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इनमें से 200 आईटीआई 'हब' होंगे, जबकि 800 अन्य आईटीआई उनसे जुड़े रहेंगे। इन हब्स में डिजिटल लर्निंग, इनोवेशन सेंटर, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स और प्लेसमेंट सर्विस जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को विश्व बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी सहयोग मिलेगा। पहली कड़ी में विशेष ध्यान बिहार के पटना और दरभंगा को दिया जाएगा, जहां बड़े पैमाने पर संसाधन और अवसर सृजित किए जाएंगे। इसके साथ ही स्कूल स्तर पर भी बच्चों की स्किलिंग को नई दिशा देने की योजना है। सरकार ने 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 400 नवोदय विद्यालय और 200 एकलव्य मॉडल स्कूलों में कुल 1200 स्किल लैब्स खोलने का ऐलान किया है। इन लैब्स के माध्यम से बच्चों को आईटी, ऑटोमोबाइल, कृषि, इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिस्टिक्स और पर्यटन जैसे 12 प्रमुख सेक्टर्स में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए 1200 विशेष प्रशिक्षकों को तैयार किया जाएगा, जो नई पीढ़ी को वैश्विक स्तर की स्किल्स सिखाएंगे।

प्रधानमंत्री मोदी का यह कदम न सिर्फ़ युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास है, बल्कि यह भारत को विश्वस्तरीय कौशल शक्ति बनाने की दिशा में भी एक मजबूत पहल है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन योजनाओं से ग्रामीण और पिछड़े इलाकों के युवाओं को भी बराबरी का मौका मिलेगा और देश का स्किल गैप काफी हद तक कम होगा।

अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि इन महत्वाकांक्षी योजनाओं के क्रियान्वयन से जमीनी स्तर पर कितनी तेजी से बदलाव आता है और युवा भारत किस तरह अपने सपनों को साकार कर पाता है।

देश में बाल विवाह की चिंताजनक तस्वीर: छह गुना बढ़े मामले, 16,737 लड़कियों का अपहरण

नई दिल्ली। भारत में बाल विवाह रोकने के लिए कानून तो बेहद सख्त हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत अब भी डराने वाली है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) की ताज़ा रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि साल 2023 में नाबालिगों के विवाह से जुड़े मामले अचानक छह गुना बढ़ गए। यह आंकड़े न केवल चौंकाने वाले हैं बल्कि समाज और प्रशासन दोनों की आंखें खोलने वाले भी हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, 2023 में 16,737 लड़कियों और 129 लड़कों का अपहरण केवल इस मकसद से किया गया कि उनकी शादी करवाई जा सके। साल 2023 में 6,038 केस दर्ज हुए, जबकि 2022 में यह संख्या सिर्फ 1,002 और 2021 में 1,050 थी। यानी तीन साल में यह ग्राफ सीधा ऊपर चढ़ गया है।

सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इन मामलों का सबसे बड़ा हिस्सा अकेले असम से आया है। यहां 5,267 मामले दर्ज हुए, जो देशभर में दर्ज कुल मामलों का लगभग 90% है। इसके अलावा, तमिलनाडु (174), कर्नाटक (145) और पश्चिम बंगाल (118) में भी बाल विवाह के केस सामने आए। वहीं, छत्तीसगढ़, नगालैंड, लद्दाख और लक्षद्वीप जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साल 2023 में एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ।

विशेषज्ञों का कहना है कि भारत दुनिया में बाल विवाह के मामलों में सबसे आगे है। दुनिया में होने वाले हर तीन में से एक बाल विवाह भारत में होता है। जबकि भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 लागू है, जो 18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र के लड़के का विवाह पूरी तरह प्रतिबंधित करता है। इतना ही नहीं, इस अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि नाबालिगों की शादी करवाने वालों या उसमें मदद करने वालों को भी सजा दी जाएगी।

लेकिन कानून के बावजूद आंकड़े बताते हैं कि जमीनी स्तर पर जागरूकता की भारी कमी है। खासकर ग्रामीण इलाकों में गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक दबाव अब भी बाल विवाह को बढ़ावा दे रहे हैं। असम में मामलों का अचानक बढ़ जाना यह भी दिखाता है कि या तो वहां प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई तेज हुई है, जिससे ज्यादा केस दर्ज हो रहे हैं, या फिर सचमुच बाल विवाह की घटनाएं चिंताजनक स्तर पर बढ़ रही हैं। सवाल यह है कि जब सरकारें 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' जैसी योजनाएं चला रही हैं, तब भी क्यों हजारों बेटियों का बचपन छिनकर उन्हें कम उम्र में विवाह के बंधन में झोंक दिया जाता है? विशेषज्ञ मानते हैं कि इस समस्या को केवल कानून से नहीं, बल्कि शिक्षा, जागरूकता और समाज की मानसिकता बदलने से ही हल किया जा सकता है।

मप्र के कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघ और शावकों की मौत, वन विभाग ने किया जांच शुरू

(जीएनएस)। मध्यप्रदेश के मंडला जिले में स्थित कान्हा टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में बृहस्पतिवार को वन्यजीव प्रेमियों और अधिकारियों के लिए चिंता का कारण बन गया। दो अलग-अलग स्थानों पर रिजर्व के मुखी रेंज और कान्हा रेंज में एक वयस्क बाघ और दो शावक मृत पाए गए। वन विभाग के अधिकारियों ने इस घटना की जानकारी देते हुए बताया कि मृत बाघ और शावकों की परिस्थितियों की जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार मुखी रेंज में एक वयस्क बाघ मृत पाया गया। वन अधिकारियों का मानना है कि यह बाघ आपसी संघर्ष या क्षेत्रीय दखल के कारण मारा गया हो सकता है। कान्हा रेंज में पाए गए लगभग दो महीने के दो मादा शावकों की मृत्यु का कारण प्राथमिक जांच के अनुसार बाघ के हमले को माना जा रहा है। पोस्टमार्टम से इसकी पुष्टि की संभावना है। शावकों की मौत ने वन्यजीव विशेषज्ञों को चिंता में डाल दिया है, क्योंकि यह संकेत करता है कि युवा बाघों और शावकों के संरक्षण में चुनौतियाँ मौजूद हैं।

वन विभाग ने बताया कि मृत बाघ का पोस्टमार्टम शुक्रवार को किया जाएगा, जिससे मौत के वास्तविक कारण और स्वास्थ्य संबंधी अन्य पहलुओं का पता लगाया जा सकेगा। अधिकारियों ने क्षेत्र में पैट्रोल बढ़ा दिया है और आसपास के क्षेत्र में अन्य बाघों और शावकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय शुरू कर दिए हैं।

कान्हा टाइगर रिजर्व, जो देश के सबसे प्रसिद्ध बाघ अभयारण्यों में से एक है, में इस तरह की घटनाएँ वन्यजीव संरक्षण की जटिलताओं को उजागर करती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, बाघों के आपसी संघर्ष और शावकों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि युवा प्रजातियों की संख्या और उनके प्राकृतिक आवास को संरक्षित रखा जा सके।

वन्यजीव प्रेमियों और अधिकारियों ने कहा कि यह घटना चेतावनी का संकेत है कि रिजर्व में बाघों की संख्या और उनके व्यवहार पर लगातार नजर रखना आवश्यक है। कान्हा रिजर्व में वर्तमान में बाघों की संख्या और उनके पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है।

महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में पिकनिक बना मातम, अरब सागर में डूबे एक ही परिवार के तीन सदस्य, चार अब भी लापता

(जीएनएस)। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग ज़िले में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। शिरोडा-वेलागर समुद्र तट पर पिकनिक मनाने गए एक ही परिवार के आठ लोग अचानक समुद्र की लहरों की चपेट में आ गए। शाम लगभग चार बजे हुई इस घटना में तीन सदस्यों की मौत हो चुकी है और चार अन्य अब तक लापता हैं। घटना के बाद पुलिस और स्थानीय आपदा प्रबंधन दल ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया, लेकिन समुद्र की गहराई और तेज धाराओं के कारण तलाशी अभियान बेहद कठिन हो गया।

जानकारी के अनुसार यह परिवार बेलगाम (कर्नाटक के बेलगावी) से घूमने आया था, जबकि परिवार के दो सदस्य सिंधुदुर्ग के कुडाल में ही ठहरे हुए थे। कुल आठ लोग समुद्र तट पर पहुंचे और मस्ती के मूड में एक साथ पानी में उतर गए। शुरुआती तौर पर उन्हें समुद्र की गहराई और लहरों की ताकत का अंदाज़ा नहीं था। धीरे-धीरे लहरें और धाराएँ उन्हें गहरे पानी की ओर खींच ले गईं। देखते ही देखते परिवार के लोग डूबने लगे और बीच पर मौजूद लोगों के बीच अफरा-तफरी मच गई।

स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और प्रशासन को सूचना दी। थोड़ी ही देर में पुलिस, गोताखोरों और आपदा प्रबंधन दल ने मौके पर पहुँचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद तीन लोगों के शव समुद्र से बाहर निकाले जा सके, लेकिन चार अन्य अभी तक लापता हैं। अधिकारियों ने बताया कि देर शाम तक तलाशी अभियान जारी रहा और संभावना है कि अगले दिन भी खोज अभियान जारी रहेगा। यह हादसा समुद्र तट पर सुरक्षा व्यवस्था और चेतावनी संकेतों की कमी को भी उजागर करता है। स्थानीय प्रशासन ने पहले भी पर्यटकों को सावधान रहने की सलाह दी थी, क्योंकि इस तट पर धाराएँ तेज़ और गहराई अचानक बढ़ जाती है। लेकिन इसके बावजूद अक्सर लोग लापरवाही कर बैठते हैं, जिसका नतीजा जानलेवा साबित होता है। घटना से पूरे क्षेत्र में मातम का माहौल है। बेलगाम से आए इस परिवार की खुशियाँ कुछ ही घंटों में गम में बदल गईं। परिवार के बाकी सदस्य और स्थानीय लोग लगातार समुद्र किनारे लापता लोगों की खोज में जुटे हैं, उनकी आँखें इस उम्मीद पर टिकी हैं कि शायद बचाव दल उनके प्रियजनों को ढूँढ निकालें।

सिंधुदुर्ग पुलिस ने बताया कि लापता लोगों की तलाश पूरी गंभीरता से की जा रही है और गोताखोर रात तक अभियान में लगे रहे। लेकिन समुद्र की लहरें और अंधेरा इस मिशन को और कठिन बना रहे हैं। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से अपील की है कि समुद्र में तैरने के दौरान सावधानी बरतें और निर्धारित सीमा से बाहर न जाएँ।

अरब सागर की लहरों ने इस परिवार की खुशियों को पलभर में छीन लिया। जो लोग पिकनिक मनाने निकले थे, उनके घर अब मातम में डूब गए हैं। यह हादसा एक करुण संदेश छोड़ गया है कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ कभी भी घातक साबित हो सकता है।

सीबीआई का बड़ा ऑपरेशन, 3.5 लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया रक्षा लेखा महानियंत्रक का अधिकारी

(जीएनएस)। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए रक्षा लेखा महानियंत्रक (सीजीडीए) कार्यालय से जुड़े एक अधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी अधिकारी पर आरोप है कि उसने वायुसेना केंद्र पर सीसीटीवी लगाने के लिए आपूर्ति आदेश को मंजूरी देने के बदले रिश्वत की मांग की थी।

यह मामला गांधीनगर, गुजरात से जुड़ा है, जहाँ एक सीसीटीवी कंपनी के मालिक ने सीबीआई को शिकायत दी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि एकीकृत वित्तीय सलाहकार (आईएफए) कार्यालय के लेखा परीक्षक/कार्मिक अशोक कुमार जाधव और वायुसेना के एक हवलदार ने मिलकर 2.5 करोड़ के अनुबंध आदेश को पास करने के लिए चार लाख रुपये की रिश्वत माँगी। यह रकम लगभग 2% कमीशन के बराबर थी।

सीबीआई ने शिकायत मिलने के बाद पूरी सावधानी से जाँच शुरू की। सत्यापन के दौरान यह साफ हो गया कि रिश्वत की मांग असली थी। हालांकि, वायुसेना का हवलदार फोन पर बात करने से बचता रहा, लेकिन शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई रिकॉर्डिंग से उसकी भूमिका भी सामने आ गई। सीबीआई की टीम ने आरोपी को पकड़ने के लिए योजना बनाई। सोमवार को जाल बिछाया गया और जाधव को 3.5 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया।

सीबीआई के प्रवक्ता ने इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी को अहमदाबाद के विशेष न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया, जहाँ से उसे ट्रांजिट रिमांड पर पुणे लाया गया। इसके बाद पुणे के विशेष न्यायाधीश के सामने पेश करने पर उसे 4 अक्टूबर, 2025 तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।

यह कार्रवाई न केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ सीबीआई की सख्त नीति को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि रक्षा सौदों जैसे संवेदनशील मामलों में भ्रष्टाचार किस तरह पैर पसारने की कोशिश करता है। अनुबंधों और आपूर्ति आदेशों में रिश्वतखोरी राष्ट्रीय सुरक्षा और पारदर्शिता दोनों के लिए खतरनाक है।

इस घटना के बाद रक्षा क्षेत्र में काम कर रही अन्य कंपनियाँ और अधिकारी भी सतर्क हो गए हैं। माना जा रहा है कि सीबीआई इस मामले में आगे और पूछताछ कर सकती है और यह भी संभव है कि रिश्वतखोरी के इस नेटवर्क में और भी लोग शामिल हों। पकड़े गए अधिकारी की गिरफ्तारी ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि करोड़ों के सरकारी अनुबंधों को मंजूरी देने वाली प्रक्रिया में पारदर्शिता को और कैसे सुनिश्चित किया जाए ताकि ईमानदार कंपनियों को किसी दबाव या रिश्वत की मांग का सामना न करना पड़े।